



हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु बनाए गए कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के संबंध में

56वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2024-25

56th ANNUAL ASSESSMENT REPORT 2024-25

Regarding Programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union and its implementation

भारत सरकार

Government of India

राजभाषा विभाग

Department of Official Language

गृह मंत्रालय

Ministry of Home Affairs

CONTENTS

		Page No.
FOREWORD		ii
CHAPTER-1	Official Language Policy of the Union.....	1-3
CHAPTER-2	Part-A: Data regarding Implementation of the Official Language Policy received from various Ministries/Departments/Offices for the year 2024-25	4-34
	Part-B: Assessment of implementation of the Official Language Policy in Ministries/ Departments and their Attached /Subordinate offices, Corporations, Undertakings and Banks etc., during the year 2024-25	35-38
CHAPTER-3	Shortcomings noticed in the implementation of the Official Language Policy, remedial measures for removing them and suggestions for better implementation of the Official Language Policy.....	39-41

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	ii
अध्याय-1 संघ की राजभाषा नीति.....	1-3
अध्याय-2 भाग-क: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से प्राप्त वर्ष 2024-25 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े.....	4-34
भाग-ख: मंत्रालयों/विभागों एवं उनके संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों और बैंकों आदि द्वारा वर्ष 2024-25 में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य का मूल्यांकन.....	35-38
अध्याय-3 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां, उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय और राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव.....	39-41

FOREWORD

Under Article 343(1) of the Constitution, Hindi shall be the Official Language of the Union. Article 351 says that it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi Language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. As per Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963; resolutions, general orders, rules, notifications, administrative and other reports, press communiqués, administrative and other reports and official papers to be laid before a House or Houses of Parliament, contracts, agreements, licenses, permits, tender notices and forms of tenders shall be issued bilingually, both in Hindi and English. The Official Language Resolution was passed by both the Houses of Parliament in December, 1967 and was circulated vide Ministry of Home Affairs O.M.No. 5/8/65-O.L. dated 18th January, 1968. It was resolved that “a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union and an Annual Assessment Report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both the Houses of Parliament and sent to all State Governments”. Annual Programme for the year 2024-2025 was sent for compliance to all the offices of the Central Government by the Department of Official Language. Besides, concerted efforts for implementing the provisions of the Annual Programme were also made throughout the year. The present assessment report is based on the analysis of information, data and progress reports received from various Ministries/Departments etc.

Continuous efforts have been made by the Ministries/Departments of the Central Government to accelerate the use of Official Language Hindi in their Attached/Subordinate offices, Undertakings, Corporations, Banks etc., also. As a result, there has been improvement in the progressive use of Hindi in many spheres during the year 2024-2025 as compared to the year 2023-2024. However, targets laid down for many items in the Annual Programme for the year 2024-2025 could not be achieved. In such cases, attention of the concerned offices was drawn towards the deficiencies on receipt of the quarterly reports and at the time of inspection of the Ministries/Departments, Undertakings, Attached and Subordinate offices etc.

Constant monitoring was done on the progress of implementation through the Hindi Advisory Committee of the Ministries/Departments, their Official Language Implementation Committees, Official Language Implementation Committees of Attached/Subordinate offices, Undertakings and Banks as well as various Town Official Language Implementation Committees.

Sustained efforts were made in the field of translation work, training of officers/employees including Hindi /Hindi typing/Hindi shorthand to typists/stenographers. Though desired success could not be achieved in a number of offices, our efforts continue.

The position regarding the implementation of the Official Language during the year 2024-2025 in various Ministries/Departments/Offices has been given in Chapter-2 of this Report. It is expected that in the ensuing years, concerned offices would not only remove the deficiencies mentioned in this report but also make substantial progress.

The 55th Annual Assessment Report for the year 2023-2024 was prepared and laid on the table of both the Houses of Parliament. This is the 56th report in the series, for the year 2024-2025. We believe that this Assessment will help to give right direction to the progressive use of Hindi and its use will gain momentum.

July, 2026

Department of Official Language
Ministry of Home Affairs, Government of India
New Delhi

प्राक्कथन

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 351 में यह उल्लिखित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार-प्रसार का संवर्द्धन एवं इसका विकास करे ताकि यह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार-संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टों, प्रैस विज्ञप्तियों, संसद के किसी सदन अथवा सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों व सरकारी कागजात, संविदाओं, करारों, अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञा पत्रों, निविदा सूचनाओं, निविदा प्रपत्रों को द्विभाषी अर्थात् हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में दिसंबर, 1967 में राजभाषा संकल्प पारित किया गया था जो गृह मंत्रालय के दिनांक 18 जनवरी, 1968 के का.ज्ञा. संख्या 5/8/65-रा.भा. द्वारा परिचालित किया गया था। यह संकल्प किया गया था कि 'हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करके कार्यान्वित किया जाएगा तथा इस संबंध में किए गए उपायों एवं प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के अनुपालन के लिए भेजा गया था। इसके साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम में की गई व्यवस्थाओं के अनुपालन के लिए पूरे वर्ष गहन प्रयत्न भी किए गए। वर्तमान मूल्यांकन रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि से प्राप्त सूचनाओं, आंकड़ों तथा प्रगति रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित है।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों आदि में भी राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में कई क्षेत्रों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में सुधार हुआ है। तथापि, वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में कई मदों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन्हें पूरा नहीं किया जा सका। ऐसे मामलों में तिमाही रिपोर्टों के प्राप्त होने पर तथा मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों आदि में निरीक्षणों के समय संबंधित कार्यालयों का ध्यान कमियों की ओर आकर्षित किया गया।

मंत्रालयों/ विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों, उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों के साथ ही विभिन्न बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर निगरानी की गई।

अनुवाद कार्य के क्षेत्र में, अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी पढ़ाने और टंककों/आशुलिपिकों को क्रमशः हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित करने के निरंतर प्रयास किए गए। हालांकि कई कार्यालयों में आशानुकूल सफलता नहीं मिली, फिर भी हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं।

इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति दी गई है। यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में संबंधित कार्यालय इस रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को न केवल दूर करेंगे बल्कि पर्याप्त प्रगति भी करेंगे।

इससे पूर्व वर्ष 2023-24 की 55वीं मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी। उसी क्रम में अब वर्ष 2024-25 की 56वीं रिपोर्ट प्रस्तुत है। हमें विश्वास है कि यह मूल्यांकन हिंदी के प्रगामी प्रयोग को उचित दिशा देने में सहायक होगा तथा इससे हिंदी के प्रयोग में और तेजी आएगी।

जुलाई, 2026

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

CHAPTER-1

THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY OF THE UNION

Constitutional Position

According to Article 343(1) of the Constitution, Hindi in Devanagari script is the Official Language of the Union. However, clause 2 of Article 343 provided for continued use of English for official purposes of the Union for a period of 15 years from the commencement of the Constitution i.e., till 26th January, 1965. It further provided that during the said period, the President may, by an order, authorize the use of Hindi, in addition to English, for any work specified in such order. Article 343(3) empowered Parliament by law to provide for the continued use of the English language for specified official purposes even after 26th January, 1965. In exercise of this authority, the Official Languages Act, 1963 was passed enabling continued use of English beyond the said 15 years for the official purposes of the Union.

Article 344 of the Constitution provided for constituting a Commission by the President after the expiration of five years from the commencement of the Constitution and thereafter after 10 years from such commencement, consisting of a Chairman and such other members representing the different languages mentioned in the VIII schedule of the Constitution

The Commission was required to make recommendations to the President regarding –

- (a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;
- (b) restriction of the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;
- (c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in Article 348;
- (d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;
- (e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the Official Language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

In making recommendations, the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India and just claims and interests of persons belonging to the Non-Hindi speaking areas with regard to the Public Services.

The Article 344 further provided for constituting a committee consisting of 30 Members of Parliament - 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha elected respectively by the members of two Houses in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote.

The Committee was mandated to examine the recommendations of the Commission and to report to the President their opinion thereon.

The Official Language Commission was appointed in the year 1955 and it submitted its report in the year 1956. A Committee of Parliament was constituted in the year 1957 to examine the recommendations of the Commission. After considering the recommendations of the committee, a comprehensive Presidential order, dated 27th April, 1960 was issued.

Official Languages Act, 1963

With a view to giving effect to the recommendation of the Official Language Commission and the Parliamentary Committee for the continued use of English empowered by article 343(3) of the Constitution of India, Parliament passed the Official Languages Act, 1963, which was subsequently amended in the year 1967. Some of the important provisions of the Amended Act are as follows:

(1) According to Section 3(1) of the Act, even after 26th January, 1965, the English Language may continue to be used in addition to Hindi, (a) for all official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day and (b) for the transaction of business in Parliament.

(2) English shall be used for correspondence between Central Government and a State which has not adopted Hindi as its official language unless the latter has accepted the use of Hindi for this purpose.

अध्याय-1 संघ की राजभाषा नीति

सांविधानिक स्थिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 343 की धारा 2 में 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात् 26 जनवरी, 1965 तक, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त संविधान में यह भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान किसी आदेश द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त इस आदेश में विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी, 1965 के बाद भी विनिर्दिष्ट शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। इस प्राधिकार का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया, जिसमें संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को 15 वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी जारी रखने की व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 344 में संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान की अष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य होंगे।

आयोग द्वारा राष्ट्रपति जी को निम्नलिखित के विषय में सिफारिश प्रस्तुत करनी थी :-

- (क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का प्रगामी प्रयोग,
- (ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन,
- (ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,
- (घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,
- (ड.) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए कोई अन्य विषय।

आयोग अपनी सिफारिशें करने में, भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। समिति में 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

समिति को आयोग की सिफारिशों की जांच करने और राष्ट्रपति जी को उसके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया था।

सन् 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई और उसने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1956 में प्रस्तुत किया। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति की स्थापना की गई। संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति जी के विस्तृत आदेश जारी किए गए।

राजभाषा अधिनियम, 1963

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों से राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की सिफारिश को कार्यरूप देने के लिए सन 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसे बाद में वर्ष 1967 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं-

(1) अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार (क) संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए 26 जनवरी, 1965 के पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए, 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा।

(2) केंद्र सरकार और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, जब तक कि उस राज्य ने हिंदी का प्रयोग करना स्वीकार न कर लिया हो।

Similarly, Governments of Hindi-speaking States would correspond with such States in English and if any communication is sent in Hindi, it shall be accompanied by an English translation thereof. However, there would be no objection to any two States corresponding in Hindi, with mutual consent.

(3) Hindi in prescribed proportions will be used for communication between the Central Government Offices etc., but in region 'C' a translation in the English language shall be provided until staff in the offices concerned acquired a working knowledge of Hindi.

(4) According to Section 3(3) of the Act, the use of both Hindi and English is obligatory for the following documents:-

1. Resolutions 2. General Orders 3. Rules 4. Notifications 5. Administrative and other Reports 6. Press-Communiqués 7-8 Administrative & other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament 9. Contracts 10. Agreements 11. Licenses 12. Permits 13. Tender notices and 14. Forms of tender.

(5) According to Section 3(4), while framing rules under the Act, it shall be ensured that a Central Government employee who has proficiency in only one language- either Hindi or English can function effectively, and that he is not placed at a disadvantage on the ground that he does not have proficiency in both the languages.

(6) Section 3(5) of the Act provides that provisions relating to the use of English for the various purposes mentioned above shall remain in force until legislatures of all such States which have not adopted Hindi as their official language, have passed a resolution for the discontinuance of the use of English and until after considering these resolutions, a resolution to that effect is also passed by each House of Parliament.

(7) Section 4 of the Act provides for the Constitution of a Committee of Parliament on Official Language after 26th January, 1975. The Committee shall comprise thirty members, twenty from Lok Sabha and ten from Rajya Sabha. It shall be the duty of the committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report making recommendations to the President. This Committee was constituted in the year 1976 and is functioning at present. Presidential orders on the 9th part of the report of the committee have been issued on 31 March, 2017.

(8) According to Section 7 of the Act, the Governor of a State may, with the prior consent of the President, authorize the use of Hindi or the Official Language of the State, in addition to the English language, for the purposes of any judgement, decree or order passed or made by the High Court for the State. However, where any judgement, decree or order is passed or made in language other than the English language, it shall be accompanied by a translation of the same in the English language, issued under the authority of the High Court. So far the Governors of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar have obtained the President's consent and authorized the use of Hindi in the High Courts for these States.

Official Language Resolution, 1968

In December 1967, both the Houses of Parliament adopted a Resolution on the Official Language Policy of the Government which was notified on 18th January 1968. According to para 1 of the Resolution, the Central Government is required to prepare and implement a more intensive and comprehensive programme for accelerating the spread and development of Hindi as also to ensure its progressive use for the official purposes of the Union. The Central Government is also required to lay an Annual Assessment Report on the Table of both Houses of Parliament giving details of measures taken and the progress achieved in this regard. Necessary action in this regard has been taken continuously and presently 56th report is being presented in the series.

Official Languages Rules, 1976

In exercise of the powers conferred under section 8, read with section 3(4) of the Official Languages Act, 1963, the Official Languages (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976 were framed in the year 1976 by the Central Government. The framing of these Rules is a very important step towards the progressive use of Hindi for the official purposes of the Union. Some important provisions of these rules are as follows:-

(a) Communication from a Central Government office to a State located in region 'A' (viz. The States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, Jharkhand and the Union Territories of Delhi and Andaman & Nicobar Islands) or to any office (other than a Central Government office) or a person residing therein shall be in Hindi. If in any exceptional case, any communication is sent in English, it shall be accompanied by the Hindi translation thereof.

इसी प्रकार हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें भी ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेंगी और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिंदी में भेजती हैं तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेंगी। पारस्परिक सहमति से यदि कोई दो राज्य आपसी पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र-व्यवहार के लिए निर्धारित अनुपात में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा लेकिन 'ग' क्षेत्र में पत्रादि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद तब तक उपलब्ध कराया जाता रहेगा जब तक संबंधित कार्यालयों के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें।

(4) अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है:-

1. संकल्पों 2. सामान्य आदेशों 3. नियमों 4. अधिसूचनाओं 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों 6. प्रेस विज्ञप्तियों 7-8 संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें तथा सरकारी कागजातों 9. संविदाओं 10. करारों 11. अनुज्ञप्तियों 12. अनुज्ञा पत्रों 13. निविदा सूचनाओं और 14. निविदा प्रपत्रों

(5) धारा 3 (4) के अनुसार, अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण होने पर भी अपना सरकारी कामकाज प्रभावी ढंग से कर सके और केवल इस आधार पर उसका कोई अहित न हो कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है।

(6) अधिनियम की धारा 3 (5) में यह प्रावधान किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए आवश्यक संकल्प पारित न कर लें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दे।

(7) उक्त अधिनियम की धारा 4 में 26 जनवरी, 1975 के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें 20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से होंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे और अपनी सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे। समिति का वर्ष 1976 में गठन किया गया था और यह इस समय कार्यरत है। समिति की रिपोर्ट के 9वें खंड पर दिनांक 31.03.2017 को राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए।

(8) अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए अथवा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा, हिंदी अथवा उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तथापि, यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में दिया गया या पारित किया जाता है तो उसके साथ-साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपालों ने राष्ट्रपति जी की सहमति ले ली है और अपने-अपने उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे दी है।

राजभाषा संकल्प, 1968

दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनों सदनों ने सरकार की भाषा नीति के संबंध में एक संकल्प भी पारित किया जिसे 18 जनवरी, 1968 को अधिसूचित किया गया। संकल्प के पैरा 1 के अनुसार केंद्र सरकार हिंदी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करेगी। केंद्र सरकार इस संबंध में किए गए उपायों तथा उनमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करेगी। इस संबंध में निरंतर आवश्यक कार्रवाई की जाती रही है और इसी क्रम में 56वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(4) के साथ पठित धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1976 में राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 बनाए गए। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में इन नियमों का जारी किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। नियमों के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध इस प्रकार हैं:-

(क) केंद्र सरकार के कार्यालयों से "क" क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह) को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय (केंद्र सरकार के कार्यालय के अलावा) या वहां रहने वाले किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी विशेष मामले में, कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(51) Communications from a Central Government office to a State located in region 'B' (viz the States of Punjab, Gujarat and Maharashtra and the Union Territory of Chandigarh, and Dadra and Nagar Haveli) shall ordinarily be in Hindi. If any such communication is sent in English, it shall be accompanied by a Hindi translation, thereof. However, communication to any person residing in these States may be in Hindi or English. However, according to the targets fixed in the Annual Programme, communications are required to be sent in Hindi to the individuals in region 'B' also.

I Communications from a Central Government office to any person or office in a State located in region 'C' (viz., all States and Union Territories not covered in Regions 'A' & 'B') shall be in English. If any such communication is sent in Hindi, it will be accompanied by the English translation, thereof.

(d) Communications between one Ministry or Department of the Central Government and another may be in Hindi or in English. However, communication between a Ministry/Department of the Central Government and the Attached and Subordinate Offices located in Region 'A' shall be in Hindi in such proportion as the Government may prescribe from time to time.

I Communications received in Hindi shall compulsorily be replied in Hindi (under Rule 5 of Official Language Rules, 1976). Whenever any application, appeal or representation is received in Hindi or is signed in Hindi, reply thereto is also to be sent in Hindi under Rule 7 of Official Language Rules, 1976.

(f) Both Hindi & English shall be used for all documents, specified in Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and it shall be the responsibility of the Officer signing such documents to ensure that these are issued both in Hindi and English under Rule 6 of the Official Language Rules, 1976.

(g) A Central Government employee may use either Hindi or English for noting on files without being required to furnish a translation thereof in the other language.

(h) All manuals, codes, rules, and other procedural literature relating to Central Government offices, shall be prepared and published both in Hindi and English in diglot form. All forms and headings of registers, name plates, stamps, notice-boards and other items of stationery etc., shall also be in Hindi and English under Rule 11 of Official Language Rules, 1976.

(i) Names of offices, where 80 percent or more of the staff possess working knowledge of Hindi shall be notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules 1976 in the Official Gazette. Further, in the offices so notified, staff who have attained proficiency in Hindi may by order be asked to use only Hindi for noting/drafting and such other purposes as specified in the order, under Rule 8(4) of the Official Languages Rules 1976.

(j) It shall be the responsibility of the Administrative Head of every office to ensure that the provisions of the Official Languages Act and the Rules are properly complied with and suitable and effective check-points for the purpose in their offices are devised under Rule 12 of Official Language Rules, 1976.

The Official Language Policy of the Union is based on the constitutional and statutory provisions mentioned above and its implementation is ensured by issuing orders/ instructions from time to time.

(ख) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तथा दादरा एवं नगर हवेली) को भेजे जाने वाले पत्र सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा, तथापि इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं। तथापि, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 'ख' क्षेत्र में व्यक्तियों को भी पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं।

(ग) केंद्र सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय को या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(घ) केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। तथापि, केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र-व्यवहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात में हिंदी में होगा।

(ङ.) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 7 के अंतर्गत हिंदी में लिखे या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों, अपीलों या अभ्यावेदनों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा।

(च) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

(छ) केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी फाइलों में टिप्पण लिखने में हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।

(ज) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं, नियम और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे। सभी प्रपत्रों और रजिस्ट्रों के शीर्ष, नामपट्ट, मुहरें, सूचना पट्ट, स्टेशनरी आदि की अन्य मदें भी हिंदी और अंग्रेजी में होंगी।

(झ) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उन्हें राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों से राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन आदेश जारी करके टिप्पण/मसौदा लेखन और आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है।

(ञ) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे और अपने कार्यालय में उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाए।

संघ की राजभाषा नीति उपर्युक्त सांविधानिक और सांविधिक प्रावधानों पर आधारित है और समय-समय पर आदेश/अनुदेश जारी करके राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

Chapter-2

Part-A

**Ministries/Departments/Offices from where data regarding implementation of
Official Language policy have been received for the year 2024-25**

Code No.	Ministry/Department/Offices	Code No.	Ministry/Department/Offices
1.	Department of Space	21.	Ministry of Finance, Department of Expenditure
2.	Ministry of Coal	22.	Ministry of Finance, Department of Investment and Public Asset Management
3.	Ministry of Mines	23.	Ministry of Finance, Department of Revenue
4.	Ministry of Social Justice & Empowerment	24.	Ministry of Finance, Department of Economic Affairs
5.	Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training	25.	Ministry of Finance, Department of Financial Services
6.	Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners Welfare	26.	Ministry of Health and Family Welfare
7.	Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms & Public Grievances	27.	Ministry of AYUSH
8.	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution	28.	Ministry of Parliamentary Affairs
9.	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs	29.	Ministry of Information and Broadcasting
10.	Ministry of Home Affairs	30.	Cabinet Secretariat
11.	Ministry of Jal Shakti	31.	Ministry of Food Processing Industries
12.	Department of Atomic Energy	32.	Ministry of Heavy Industries
13.	Ministry of Environment, Forest and Climate change	33.	Department of Public Enterprises, M/o Finance
14.	Ministry of Education, Department of Higher Education	34.	Ministry of Steel
15.	Ministry of Earth Science	35.	Ministry of New and Renewable Energy
16.	NITI Aayog	36.	Ministry of Power
17.	Ministry of Railways (Railway Board)	37.	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, D/o Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare
18.	Ministry of External Affairs	38.	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agricultural Research & Education
19.	Ministry of Law and Justice , Legislative Department		
20.	Ministry of Law and Justice , Department of Legal Affairs	39.	Department of Fishries
		40.	Department of Animal Husbandry and Dairying

अध्याय-2

भाग-क

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जिनसे वर्ष 2024-25 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

कोड सं.	मंत्रालय / विभाग / कार्यालय	कोड सं.	मंत्रालय / विभाग / कार्यालय
1.	अंतरिक्ष विभाग	21.	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
2.	कोयला मंत्रालय	22.	वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग
3.	खान मंत्रालय	23.	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
4.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	24.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग
5.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	25.	वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
6.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग	26.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
7.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	27.	आयुष मंत्रालय
8.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	28.	संसदीय कार्य मंत्रालय
9.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग	29.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
10.	गृह मंत्रालय	30.	मंत्रिमंडल सचिवालय
11.	जल शक्ति मंत्रालय	31.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
12.	परमाणु ऊर्जा विभाग	32.	भारी उद्योग मंत्रालय
13.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	33.	लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय
14.	शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग	34.	इस्पात मंत्रालय
15.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	35.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
16.	नीति आयोग	36.	विद्युत मंत्रालय
17.	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	37.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
18.	विदेश मंत्रालय	38.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
19.	विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग		
20.	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग	39.	मत्स्य पालन विभाग
		40.	पशुपालन और डेयरी विभाग

Chapter-2 (contd.)

Part-A

**Ministries/Departments/Offices from where data regarding implementation of
Official Language policy have been received for the year 2024-25**

Code No.	Ministry/Department/Offices	Code No.	Ministry/Department/Offices
41.	Ministry of Statistics & Programme Implementation	62.	Union Public Service Commission
42.	Ministry of Ports, Shipping and Waterways	63.	Ministry of Rural Development, Department of Rural Development
43.	Ministry of Road Transport and Highways	64.	Ministry of Rural Development, Department of Land Resources
44.	Ministry of Civil Aviation	65.	Ministry of Tourism
46.	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals and Petro Chemicals	66.	Ministry of Culture
47.	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Fertilizers	67.	Ministry of Tribal Affairs
48.	Department of Pharmaceuticals	68.	Election Commission of India
49.	Ministry of Defence, Department of Defence, Deptt. of Defence Research & Development and Ex-servicemen Welfare	69.	Ministry of Panchayati Raj
50.	Deptt. of Defence Production (Secretariat)	70.	Ministry of Youth Affairs and Sports
51.	Ministry of Commerce and Industry, D/o Commerce	71.	Ministry of North-Eastern Region Development
52.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade	72.	Ministry of Minority Affairs
53.	Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology	73.	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
54.	Ministry of Science and Technology, Department of Bio-Technology	74.	Ministry of Petroleum and Natural Gas
55.	Ministry of Textile	75.	Ministry of Corporate Affairs
57.	Ministry of Housing & Urban Affairs	76.	Ministry of Women and Child Development
58.	Ministry of Communication, Department of Telecommunication,	77.	Department of Drinking Water and Sanitation
59.	Ministry of Electronics and Information Technology	78.	Department of Empowerment of Persons with Disabilities
60.	Ministry of Communication, Department of Posts	79.	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
61.	Ministry of Labour and Employment	80.	Ministry of Cooperation

अध्याय-2

भाग-क (जारी....)

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जिनसे वर्ष 2024-25 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

कोड सं.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय	कोड सं.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय
41.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	62.	संघ लोक सेवा आयोग
42.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	63.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग
43.	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	64.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग
44.	नागर विमानन मंत्रालय	65.	पर्यटन मंत्रालय
46.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	66.	संस्कृति मंत्रालय
47.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग	67.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
48.	औषध विभाग	68.	भारत निर्वाचन आयोग
49.	रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग	69.	पंचायती राज मंत्रालय
50.	रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग (सचिवालय)	70.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
51.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	71.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
52.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	72.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
53.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	73.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
54.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बायोटेक्नोलॉजी विभाग	74.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
55.	वस्त्र मंत्रालय	75.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
57.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	76.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
58.	संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	77.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
59.	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	78.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
60.	संचार मंत्रालय, डाक विभाग	79.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
61.	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय	80.	सहकारिता मंत्रालय

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों और उनके कार्यालयों
Data regarding Implementation of the Official Language Policy From various

कोड सं./क्षेत्र	मंत्रालय / विभाग और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के नाम	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात		हिंदी में पत्राचार			मूल पत्राचार (तार/टेलिक्स/फैक्स सहित)		
		कुल संख्या	केवल अंग्रेजी में	हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में दिए गए उत्तर	अंग्रेजी में दिए गए उत्तर	हिंदी में जारी किए गए पत्र	अंग्रेजी में जारी किए गए पत्र	द्विभाषी जारी किए गए पत्र
No/ Region	es of Ministries/Departments and their attached / subordinate Offices	rs issued u/s 3(3) of the Official Language Act		Correspondence in Hindi			Original including	Correspondence Telegram/Telex/Fax	
		Total No.	Only in English	Total no. of letters Hindi	Letters replied to in Hindi	Letters	issued in Hindi	issued in English	Letters issued bilingually
		(क)	(ख)	(क)	(ख)	(ग)	(क)	(ख)	(ग)
		(a)	(b)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(क) अंतरिक्ष विभाग सचिवालय (सचिवालय) (A) Deptt. of Space (Secretariat)	6393	0	1439	816	0	3160	3337	17903
1.1	(ख) अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र, अहमदाबाद (B) Space Application Centre, Ahmadabad	7666	0	1325	1134	0	7220	1542	7721
1.2	(ग) अंतरिक्ष विभाग के केंद्र (C) Centre of Deptt. Of Space	84904	0	3162	1515	0	1051	20806	71207
2	(क) कोयला मंत्रालय (मुड्या.) (A) Ministry of Coal (H.Q)	1140	0	1852	1563	0	5649	2375	1024

से प्राप्त राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े
Ministries /Departments and their Offices during the year 2024-25

टंकक/	आशुलिपिक					इलेक्ट्रॉनिक/ यांत्रिक उपकरण आदि		कोड/ मैनुअल/फार्म/ प्रकाशन आदि				राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें
कुल सं.	जो हिंदी टंकण/ आशुलिपि जानते हैं	जो अंग्रेजी टंकण/ आशुलिपि जानते हैं	जो दोनों जानते हैं	हिंदी कार्य का प्रतिशत	कुल संख्या	देवनागरी	द्विभाषी	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	केवल हिंदी में	
Typist/ Stenographers					Mechanical/ Electronic equipments etc.			Code/ Manuals/ Forms/Publications etc				Meetings of OLIC
Total No.	Hindi typing/ Steno- graphy knowing	English typing/ Steno- graphy knowing	Knowing both	Percentage of Hindi work	Total No.	Devnagari	Bilingual	Total No.	Bilingual	Only in English	Only in Hindi	
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(क)	(ख)	(ग)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(d)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103	70	70	103	68	927	927	927	168	168	0	0	4
170	100	100	170	100	1805	1805	1805	350	345	0	5	8
1094	89	89	1094	89	10851	10851	10851	1570	1551	0	19	52
11	11	11	11	85	238	238	238	18	18	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	(क) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Coal	35882	0	208769	159079	0	356148	26840	218
2.2	(ख) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Coal	4134	0	18526	8148	0	31742	1936	0
2.3	(ग) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Coal	34600	0	14224	7880	0	67412	28942	3626
3	(क) खान मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Mines (HQ)	1113	0	1339	1017	0	3101	1022	680
3.1	(क) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Office under Ministry of Mines	11405	0	40924	19357	0	36738	2902	5100
3.2	(ख) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Office under Ministry of Mines	7572	0	38525	20187	0	60759	7183	10219
3.3	(ग) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Office under Ministry of Mines	26104	0	19616	10352	0	37785	48218	52573
4	(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (A) Ministry of Social Justice & Empowerment	2453	0	5269	3794	0	0	4660	9478
5	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (मुख्या.) (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances and Pension, Deptt. of Personnel & Training.	2549	0	6606	4744	0	24419	8678	2419
5.1	(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय (A) Office of Deptt of Personnel and Training	4442	0	10780	5571	0	26933	6848	26933
6	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (मुख्या.) (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances and Pensions, Deptt of Pension and Pensioners Welfare (HQ)	1241	0	1166	1021	0	20121	136	20121

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600	600	600	502	87	7181	7181	7181	1025	913	18	84	4
1929	110	110	19	85	610	610	610	156	156	0	0	4
1104	508	508	1021	58	7514	7399	7399	360	358	0	2	4
10	7	7	3	70	204	204	204	30	30	0	0	4
216	205	205	74	94	2095	2087	2087	433	359	9	15	4
211	184	184	37	87	1360	1358	1358	193	190	2	0	4
248	131	131	117	52	6031	6031	6031	286	253	9	24	4
118	0	0	23	0	496	496	496	18	18	0	0	1
45	100	100	45	100	761	761	761	100	100	0	0	4
147	79	79	133	54	1065	1065	1065	235	193	42	0	4
1	1	1	0	100	99	99	99	45	45	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions Deptt. of Administrative Reforms & Public Grievances	8697	0	30481	26403	0	124368	5386	124368
8	(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग(मुख्या.) (A) Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Deptt. of Food & Public	2448	0	5377	4579	0	25622	3257	0
8.1	(क) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (A) Offices under D/o Food & Public Distribution	2148	0	11904	8918	0	49175	3672	773
8.2	(ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (B) Offices under D/o Food & Public Distribution	76	8	180	47	0	840	51	0
8.3	(ग) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (C) Offices under D/o Food & Public Distribution	534	2	299	260	1	1075	551	378
9	(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग (मु.) (A) Ministry of consumer Affairs, & Public Distribution, Deptt. of Consumer Affairs(H.Q)	8067	0	7007	7007	0	18096	4040	14056
9.1	(क) उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. Affairs	1728	0	5552	5552	0	59337	8073	51364
9.3	(ग) उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. Affairs	308	0	259	179	0	2593	0	2593
10	(क) गृह मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Home Affairs (H.Q)	57405	0	36387	31030	0	76465	30646	107111

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	2	2	2	100	146	146	146	9	9	0	0	4
143	92	92	12	92	562	562	562	15	15	0	0	4
68	88	88	8	88	1308	1308	1308	63	63	0	0	42
0	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	8
4	100	100	0	100	20	20	20	28	28	0	0	16
29	7	7	27	7	120	120	120	19	19	0	0	4
392	72	72	108	72	701	701	701	395	395	0	0	12
27	63	63	0	63	53	53	53	31	21	9	1	4
190	43	43	159	43	2720	2720	2720	155	155	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1	(क) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Home Affairs	315577	205160	1726500	1301085	35742	2156753	463890	67091
10.2	(ख) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Home Affairs	26693	2676	244621	168835	6328	216944	52820	2421
10.3	(ग) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Home Affairs	232724	49244	924975	673759	71337	13258712	630596	85085
11	(क) जल शक्ति मंत्रालय (मु.) (A) M/o Jal Shakti (HQ)	85	0	561	280	0	7837	2151	5733
11.1	(क) जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Jal Shakti	4420	0	7321	4762	0	24592	1825	23557
11.2	(ख) जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Jal Shakti	249	0	176	95	0	481	152	329
11.3	(ग) जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Jal Shakti	488	0	816	136	0	1886	525	1363
12	(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (मु.) (B) Deptt. of Atomic Energy (Hq.)	1744	0	4177	1146	0	68457	10276	1744
12.1	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम/संस्थान (A) Units/Undertakings/ D/o Atomic Energy	35353	0	36615	18274	0	57232	639	25320
12.2	(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम /संस्थान (B) Units/Undertakings/ Deptt. of Atomic Energy	77200	0	38818	20095	0	243916	63295	349409
12.3	(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम /संस्थान (C) Units/Undertakings/ Deptt. of Atomic Energy	45407	0	13151	10648	0	66663	64519	135770
13	(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (मुख्यालय) (A) Ministry of Environment, Forest and Climate Change (HQ)	17152	0	14424	11464	0	38733	22095	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2633	75	75	632	75	9207	7917	8574	10729	3143	1769	5812	1014
500	81	81	107	81	1473	1473	1473	2351	515	713	1123	174
1899	71	71	971	71	8658	7714	7527	22976	2369	17545	3062	752
54	96	96	52	96	411	411	411	3	3	0	0	3
251	90	90	227	90	2332	2332	2332	326	326	0	0	3
62	95	95	59	95	500	500	500	55	55	0	0	3
43	98	98	42	98	277	277	277	58	57	0	0	3
124	115	115	124	93	422	422	422	75	74	1	0	4
439	388	388	432	88	6212	6079	6079	749	716	30	3	50
874	739	739	862	85	20236	19942	19942	1896	1839	47	7	12
629	394	394	597	63	12670	12529	12529	2401	2390	11	0	109
29	34	34	19	34	816	816	816	110	110	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.1	(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Environment, Forest and Climate Change	11563	0	24110	10827	0	49862	9927	14576
13.2	(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Environment, Forest and Climate Change	723	0	735	575	0	4518	971	320
13.3	(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Environment, Forest and Climate Change	6597	0	461	215	0	7284	24785	12033
14	(क) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (A) D/o Higher Education, M/o Education	2045	0	2664	2120	0	2106	2106	2106
14.1	(क) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Higher Education, M/o Education	38067	0	10965	7135	0	17351	17351	17351
14.2	(ख) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Higher Education M/o Education	16312	0	8013	4331	0	14112	14112	14112
14.3	(ग) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Higher Education, M/o Education	13471	0	4923	3033	0	11949	11949	11949
15	(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (A) Ministry of Earth Science	4177	0	3807	1772	0	0	746	9787
15.1	(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Earth Science	2683	0	4818	4089	0	0	2621	10083
15.2	(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Earth Science	1194	0	761	419	0	0	549	2539

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
226	79	79	166	79	2147	2053	2053	416	416	0	0	66
6	83	83	6	83	60	60	60	12	12	0	0	8
35	17	17	20	17	478	444	454	230	230	0	0	17
73	41	41	32	56	1124	1124	1124	43	43	0	0	4
3212	2972	2972	2198	68	8035	8035	8035	748	532	124	102	288
257	130	130	128	50	3835	3835	3835	343	230	62	51	293
190	130	130	128	50	2545	2545	2545	329	272	32	25	412
45	91	91	4	91	250	250	250	24	24	0	0	4
96	100	100	0	100	436	311	311	82	82	0	0	8
16	69	69	5	69	839	839	839	62	55	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.3	(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Earth Science	2794	0	256	139	0	0	64176	90116
16	(क) नीति आयोग (A) NITI AYOOG	5305	0	4810	3319	0	12254	2059	12254
16.1	(क) नीति आयोग के अधीन कार्यालय (A) Offices under NITI AYOOG	996	0	86	38	0	4077	405	3906
17	(क) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (A) Ministry of Railways (Railway Board)	4827	0	23548	23548	0	59988	4213	64201
17.1	(क) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Railways	174785	0	581403	581403	0	636542	22204	614338
17.2	(ख) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Railways	30970	0	78569	78569	0	114021	3580	110441
17.3	(ग) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Railways	145328	0	20513	20513	0	31182	2519	28663
18	(क) विदेश मंत्रालय (A) Ministry of External Affairs	42169	0	9507	7274	0	19057	33480	0
18.1	(क) विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of External Affairs	3483	0	16919	10424	0	16041	2773	1132
18.2	(ख) विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of External Affairs	1483	0	2162	1114	0	5358	1222	4265
18.3	(ग) विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of External Affairs	3326	0	649	387	0	8591	5127	9745

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	69	69	4	69	1056	937	937	219	219	0	0	16
52	90	90	52	90	761	761	761	13	13	0	0	4
21	48	48	15	48	200	200	200	127	123	2	2	5
296	129	129	129	44	2785	2785	2785	739	737	0	0	4
7113	100	100	28	100	24037	24037	24037	14502	31717	0	74785	576
1317	1317	1317	0	100	9954	9954	9488	54484	44542	4478	5464	548
4510	66	66	0	66	74820	74820	96032	2389	2386	0	0	1616
1436	80	80	286	80	4000	3812	3812	45	45	0	0	3
351	78	78	78	78	600	398	398	494	489	0	5	44
216	52	52	103	52	230	101	101	69	62	0	7	24
308	56	56	136	56	398	398	149	147	147	0	0	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	(क) विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय (A) Legislative Department, M/o Law & Justice	3656	0	4585	3785	0	6520	2435	0
20	(क) विधि कार्य विभाग (मु.), विधि और न्याय मंत्रालय (A) Department of Legal Affairs (HQ M/o Law & Justice	3521	0	2893	1892	2	7055	10409	0
20.1	(क) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Department of Legal Affairs	225	0	8742	5051	0	23039	1956	7002
20.2	(ख) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Department of Legal Affairs	13403	858	7209	3208	0	56271	708	13721
20.3	(ग) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Department of Legal Affairs	498	90	1294	533	0	19919	16661	3158
21	(क) व्यय विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Expenditure (HQ), Ministry of Finance	19411	0	6933	5057	0	11281	9587	11281
21.1	(क) व्यय विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Expenditure	24860	0	7100	1010	0	19255	6864	19255
22	(क) निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय (A) D/o of Investment and Public Asset Mgmt. M/o Finance	1455	0	352	318	0	1179	235	1179
23	(क) राजस्व विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Revenue (HQ), Ministry of Finance	13718	0	10746	6769	0	45374	20340	0
23.1	(क) राजस्व विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Revenue	8869	0	158437	124156	20	16830058	116742	16830728
24	(क) आर्थिक कार्य विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Economic Affairs (HQ), Ministry of Finance	2189	0	1272	989	0	3765	4279	427

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
82	47	47	35	57	314	314	314	97	97	0	0	3
53	36	36	17	54	201	201	201	99	99	0	0	4
98	80	80	96	91	338	330	305	213	190	12	11	6
126	75	75	125	75	367	349	339	152	128	2	22	5
112	42	42	112	46	291	267	160	366	266	66	34	9
222	147	147	147	66	350	323	323	53	53	0	0	3
19	53	53	10	53	837	837	837	69	59	0	0	4
6	0	0	4	0	128	128	128	2	2	0	0	4
149	66	66	73	47	1303	1303	1303	86	33	0	0	4
2373	1846	1846	521	78	39158	37938	39158	8607	634	5985	1988	3255
46	29	29	46	63	734	734	734	67	67	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.1	(क) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Economic Affairs	1777	0	4462	3304	0	16373	904	5889
24.2	(ख) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Economic Affairs	2596	5	4415	2913	0	30175	26998	104618
24.3	(ग) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Economic Affairs	1903	0	422	192	0	5169	4886	808
25	(क) वित्तीय सेवाएं विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Financial Services (HQ), Ministry of Finance	7321	0	11541	10031	0	36378	1749	0
25.1	(ख) भारतीय स्टेट बैंक (मुख्यालय) (B) State Bank of India(HQ)	2246	0	13740	9052	0	172493	65467	0
25.1.1	(क) भारतीय स्टेट बैंक (A) State Bank of India	35905	0	739725	624983	0	1488712	81108	0
25.1.2	(ख) भारतीय स्टेट बैंक (B) State Bank of India	9438	0	223696	166297	0	9391129	2209649	0
25.1.3	(ग) भारतीय स्टेट बैंक (C) State Bank of India	16542	0	98420	59076	0	584084	386286	0
25.2	(क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) EXIM Bank (HQ)	509	0	1844	1705	0	8286	2328	9726
25.2.1	(क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (A) EXIM Bank	68	0	188	188	0	367	0	431
25.2.2	(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (B) EXIM Bank	705	0	2150	1924	0	8857	2439	10397
25.2.3	(ग) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (C) EXIM Bank	191	0	328	241	0	718	950	842

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
63	100	100	0	100	882	882	882	186	186	0	0	23
63	100	100	0	100	2778	2778	2778	644	635	3	6	32
36	100	100	0	100	524	524	524	157	154	0	3	20
7	7	7	0	100	515	515	515	42	42	0	0	4
25	25	25	0	100	2972	2972	2972	46	46	0	0	4
2	2	2	0	100	69024	69024	69024	336	336	0	0	34384
15	100	100	0	100	44496	44496	44496	372	372	0	0	22188
5	100	100	0	100	91859	91859	91859	240	240	0	0	43508
0	0	0	0	0	225	225	225	112	112	0	0	4
0	0	0	0	0	63	63	63	112	112	0	0	4
0	0	0	0	0	239	239	239	112	112	0	0	16
0	0	0	0	0	26	26	26	112	112	0	0	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.4	(ख) बैंक ऑफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) (B) Bank of India (HQ)	372	0	57635	50720	0	3189852	279717	5204354
25.4.1	(क) बैंक ऑफ इंडिया (A) Bank of India	38981	0	329521	300070	0	653387	14204	70374
25.4.2	(ख) बैंक ऑफ इंडिया (B) Bank of India	40760	0	406492	329432	0	4220165	357760	5204354
25.4.3	(ग) बैंक ऑफ इंडिया (C) Bank of India	40760	0	40482	26437	0	164436	131549	73083
25.5	(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) SIDBI (HQ)	253	0	225	166	0	962	12	969
25.5.1	(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (A) SIDBI	381	0	1339	841	0	21128	697	948
25.5.2	(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (B) SIDBI	845	0	2410	2112	0	7102	2518	34506
25.5.3	(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (C) SIDBI	422	0	2307	1146	0	1527	16188	45995
25.6	(ख) बैंक आफ महाराष्ट्र (मुख्या.) (B) Bank of Maharashtra(HQ)	6419	0	3315	3022	0	75463	2639	0
25.6.1	(क) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (A) Bank of Maharashtra	40579	0	40490	30371	0	113316	9094	0
25.6.2	(ख) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (B) Bank of Maharashtra	141002	0	94311	55278	0	603350	53521	0
25.6.3	(ग) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (C) Bank of Maharashtra	34715	0	13552	5698	0	42347	28748	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
70	100	100	0	100	2196	2196	2196	1645	920	0	725	4
7399	7399	7399	0	100	19072	19072	19072	1455	1180	0	275	120
5562	100	100	0	100	16545	16545	16545	2812	1940	0	872	80
5285	100	100	0	100	13155	13155	13155	1331	1331	0	0	80
9	100	100	9	100	113	113	113	39	38	0	1	4
4	100	100	4	100	273	273	273	39	38	0	1	112
8	100	100	8	100	433	433	433	39	38	0	1	116
5	100	100	5	100	258	258	258	39	38	0	1	118
23	23	23	0	100	762	762	762	457	457	0	0	4
745	745	745	0	100	2392	2392	2392	457	457	0	0	2778
3060	3060	3060	0	100	8440	8440	8440	457	457	0	0	5367
497	100	100	0	100	1695	1695	1695	457	457	0	0	2212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.7	(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (मुख्या.) (A) NABARD (HQ)	2317	0	14339	2618	0	0	7128	88180
25.7.1	(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (A) NABARD	877	0	16502	5742	0	0	3953	64102
25.7.2	(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (B) NABARD	277	0	4012	1744	0	0	583	14109
25.7.3	(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (C) NABARD	794	0	12859	2971	0	0	9447	22877
25.8	(क) पंजाब नेशनल बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Punjab National Bank((HQ)	4049	0	627482	590173	0	3302880	40239	0
25.8.1	(क) पंजाब नेशनल बैंक (A) Punjab National Bank	77435	0	1744350	1627587	0	4734751	21454	0
25.8.2	(ख) पंजाब नेशनल बैंक (B) Punjab National Bank	21722	0	902636	792981	0	2267210	27301	0
25.8.3	(ग) पंजाब नेशनल बैंक (C) Punjab National Bank	39339	0	330152	215068	0	1471988	315936	0
25.9	(क) पंजाब एंड सिंध बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Punjab & Sind Bank (HQ)	1920	0	35109	31600	0	282225	5792	0
25.9.1	(क) पंजाब एंड सिंध बैंक (A) Punjab & Sind Bank	12017	0	145787	139818	0	481128	14279	0
25.9.2	(ख) पंजाब एंड सिंध बैंक (B) Punjab & Sind Bank	5180	0	74574	68261	0	416154	26642	0
25.9.3	(ग) पंजाब एंड सिंध बैंक (C) Punjab & Sind Bank	1612	0	4137	3834	0	39401	15707	0
25.10.	(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) (B) IDBI (HQ)	3005	0	12119	4691	0	1563129	2480	1563129

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27	100	100	0	100	1468	1468	1468	73	73	0	0	4
18	100	100	0	100	1497	1497	1497	225	222	3	0	4
14	100	100	0	100	406	406	406	70	70	0	0	4
12	92	92	1	92	1451	1451	1451	264	263	0	1	4
14	14	14	0	100	2788	2788	2788	2040	2040	0	0	4
13688	13688	13688	0	100	40047	40047	40047	2040	2040	0	0	304
7089	7089	7089	0	100	19765	19765	19765	2040	2040	0	0	144
7764	7267	7267	0	94	21310	21310	21310	2040	2040	0	0	192
0	0	0	0	0	821	821	821	143	135	0	8	128
0	0	0	0	0	3641	3641	3641	55	37	0	18	2720
0	0	0	0	0	3548	3548	3548	49	37	0	12	3992
0	0	0	0	0	1053	1053	1053	39	37	0	2	688
51	100	100	51	100	1481	1481	4181	119	119	0	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.10.1	(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (A) IDBI	42487	0	42487	42487	0	140732	6019	140732
25.10.2	(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (B) IDBI	185766	0	21437	14687	0	3560461	127191	3560461
25.10.3	(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (C) IDBI	8597	0	3786	2785	0	50864	12422	50864
25.11	(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय) (B) Bank of Baroda (HQ)	5493	0	806138	758116	0	33275085	1601509	428136
25.11.1	(क) बैंक ऑफ बड़ौदा (A) Bank of Baroda	118962	0	3925871	3996682	0	11964126	56264	79856
25.11.2	(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा (B) Bank of Baroda	988612	0	3100045	3046564	0	11325987	117658	243510
25.11.3	(ग) बैंक ऑफ बड़ौदा (C) Bank of Baroda	24077	0	582445	556714	0	5773342	640051	3115475
25.12	(क) यूनियन बैंक आफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) (A) Union Bank of India (HQ)	1682	0	108321	108321	0	137556	8369	73711
25.12.1	(क) यूनियन बैंक आफ इंडिया (A) Union Bank of India	4197	0	396253	396253	0	364475	7745	154572
25.12.2	(ख) यूनियन बैंक आफ इंडिया (B) Union Bank of India	3013	0	205973	205973	0	255929	20863	91149
25.12.3	(ग) यूनियन बैंक आफ इंडिया (C) Union Bank of India	6066	0	132719	132719	0	72467	285513	577232
25.13	(ग) इंडियन बैंक (मुख्यालय) (C) Indian Bank (HQ)	1699	0	6479	6479	0	61031	8452	86977
25.13.1	(क) इंडियन बैंक (A) Indian Bank	3649	0	103422	103422	0	235370	26771	93899
25.13.2	(ख) इंडियन बैंक (B) Indian Bank	690	0	10050	10050	0	41240	20932	58301

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
39	100	100	39	100	5640	5640	5640	135	123	0	12	3336
200	100	100	2	100	12467	12467	5529	137	125	0	0	3484
73	100	100	73	100	2806	2806	2806	135	123	0	12	4076
111	111	111	111	100	2692	2692	2692	341	341	0	0	4
8809	8809	8809	8809	100	24706	24706	24706	365	365	0	0	252
8709	8709	8709	8709	100	21920	21920	21920	358	358	0	0	224
7391	7391	7391	7391	100	18932	18932	18932	353	353	0	0	204
48	48	48	48	100	2658	2658	2658	327	285	0	42	4
6339	6339	6339	6339	100	18895	18895	18895	461	326	0	135	11224
5176	5176	5176	5176	100	13848	13848	13848	406	326	0	80	5792
11553	11553	11553	11553	100	32786	32786	32786	633	418	0	215	17520
28	100	100	28	100	730	730	730	303	290	2	11	4
0	0	0	0	0	14858	14858	14858	283	255	0	28	132
0	0	0	0	0	6782	6782	6782	266	248	0	18	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.13.3	(ग) इंडियन बैंक (C) Indian Bank	3154	0	7735	7735	0	106462	90436	250656
25.14	(क) राष्ट्रीय आवास बैंक (मुख्यालय) (A) National Housing Bank	149	0	399	238	0	0	0	5048
25.14.1	(क) राष्ट्रीय आवास बैंक (A) National Housing Bank (HQ)	6	0	152	14	0	0	1	486
25.14.2	(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (B) National Housing Bank	7	0	30	6	0	0	15	972
25.14.3	(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक (C) National Housing Bank	8	0	83	4	0	0	13	395
25.15	(क) दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) (A) The Oriental Insurance Co. Ltd (Hq.)	53	0	5233	5168	0	20470	770	29
25.15.1	(क) दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (A) The Oriental Insurance Co. Ltd	1162	0	19820	17105	0	54676	5495	4381
25.15.2	(ख) दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (B) The Oriental Insurance Co. Ltd	1644	0	19418	16128	0	53031	8425	0
25.15.3	(ग) दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) The Oriental Insurance Co. Ltd	421	0	1888	1462	0	8716	8155	139
25.16	(ग) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मुख्यालय) (C) United India Insurance Co. Ltd. (HQ)	38	0	73	73	0	97	467	805
25.16.1	(क) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (A) United India Insurance Co. Ltd.	415	0	7171	7171	0	6065	0	12197
25.16.2	(ख) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (B) United India Insurance Co. Ltd.	112	0	737	725	0	5799	453	516

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	19334	19334	19334	296	268	4	24	184
0	0	0	0	0	330	330	330	153	152	0	1	4
0	0	0	0	0	35	35	35	153	152	0	1	28
0	0	0	0	0	47	47	47	153	152	0	1	12
0	0	0	0	0	48	48	48	153	152	0	1	28
38	38	38	38	96	0	0	0	87	84	0	3	4
769	769	769	769	97	0	0	0	92	84	0	8	48
524	18	506	506	86	0	0	0	84	80	0	4	32
441	30	11	31	51	0	0	0	82	80	0	2	40
1	1	0	0	100	565	565	565	50	46	0	4	4
0	0	0	0	0	1718	1718	1718	50	46	0	4	4
0	0	0	0	0	2037	2037	2037	51	46	0	5	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.16.3	(ग) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) United India Insurance Co. Ltd.	180	0	307	246	0	182	3586	4710
25.20.	(क) इंडियन ओवरसीज़ बैंक(मु०) /IOB (Hqt.)	4169	0	1370	1359	0	1586	297	45361
25.20.1	(क) इंडियन ओवरसीज़ बैंक /IOB	5113	0	42949	42199	0	206102	10313	188289
25.20.2	(ख) इंडियन ओवरसीज़ बैंक /IOB	1569	0	22369	22298	0	116302	43682	499181
25.20.3	(ग) इंडियन ओवरसीज़ बैंक /IOB	7941	0	541	5447	0	589919	236141	379211
25.21	भारतीय रिजर्व बैंक (मुख्यालय) Reserve Bank of India (HQ)	6032	0	18144	3106	0	49176	1327	33769
25.22	केनरा बैंक (मुख्यालय) Canara Bank (HQ)	3853	0	13828	4075	0	209108	56143	20681
25.22.1	(क) केनरा बैंक (A) Canara Bank	307413	0	702978	275075	0	119225	379119	117912
25.22.2	(ख) केनरा बैंक (B) Canara Bank	73379	0	702978	275075	0	487042	56711	48169
25.22.3	(ग) केनरा बैंक (C) Canara Bank	267812	0	509910	224344	0	2133490	1796958	160585
25.23	(क) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मुख्यालय) (A) Central Bank of India (HQ)	1099	0	46067	21432	0	468139	39533	121370
25.23.1	(क) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (A) Central Bank of India	1109360	0	2773400	1476781	0	4362449	41711	33280
25.23.2	(ख) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (B) Central Bank of India	569520	0	1423800	854280	0	2043211	111853	123016
25.23.3	(ग) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (C) Central Bank of India	670880	0	1677200	670272	0	95534	1049256	1538730
26	(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Health & Family Welfare (HQ)	2949	0	5112	2490	0	46721	12321	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1	1	0	100	3145	3145	3145	49	46	0	3	4
19	19	19	0	100	789	789	789	497	489	0	8	4
129	100	100	0	100	7349	7349	7349	528	484	0	44	44
124	90	90	0	90	3598	3598	3598	502	474	0	28	28
359	81	81	0	81	10894	10894	10894	633	489	0	144	128
414	100	100	414	100	7912	7912	7912	394	326	68	0	4
0	0	0	0	0	3708	3708	3708	2535	2531	0	4	4
0	0	0	0	0	16548	16548	16548	2535	2531	0	4	32
0	0	0	0	0	7966	7966	7966	2535	2531	0	4	16
0	0	0	0	0	35237	35237	35237	2535	2531	0	4	56
5	80	80	1	80	1722	1722	1722	308	265	0	43	4
25	100	100	0	100	15380	15380	15380	308	265	0	43	7924
20	75	75	5	75	9533	9533	9533	308	265	0	43	4068
25	60	60	10	60	8770	8770	8770	308	265	0	43	4792
115	115	115	0	100	1600	1600	1600	79	78	0	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	(क) आयुष मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of AYUSH (HQ)	1827	0	5225	4940	0	7582	1640	7582
27.1	(क) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of AYUSH	10584	0	33154	25516	0	31150	5019	40228
27.2	(ख) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of AYUSH	512	0	568	568	0	911	580	911
27.3	(ग) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of AYUSH	5315	0	334	137	0	1130	5530	1747
28	(क) संसदीय कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Parliamentary Affairs	150	0	5410	3233	0	1955	0	222
29	(क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Information & Broadcasting (HQ)	4892	0	4654	4125	0	23133	8288	0
29.1	(क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	14823	0	19081	14929	0	54305	9340	0
29.2	(ख) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	9317	0	714	515	0	6184	843	73
29.3	(ग) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	162	0	46	9	0	450	377	0
30	(क) मंत्रिमंडल सचिवालय (A) Cabinet Secretariat	4833	0	5596	4234	0	19099	20827	39926
31	(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Food Processing Industries (Hq.)	339	8	235	207	0	1445	215	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21	15	15	6	71	310	310	310	4	4	0	0	4
147	89	89	16	89	1531	1522	1522	239	239	0	0	44
3	100	100	0	100	60	60	60	77	77	0	0	8
32	47	47	26	47	549	538	538	4273	4273	0	0	20
15	12	12	15	80	145	145	145	6	6	0	0	4
54	100	100	54	100	392	392	392	1	1	0	0	4
155	69	69	130	69	2617	2606	2389	357	344	0	13	41
24	96	96	24	96	260	235	235	192	151	0	1	12
7	43	43	7	43	75	66	66	23	15	8	0	4
23`	22	22	18	22	408	405	405	34	34	0	0	4
0	0	0	0	0	385	385	385	19	16	3	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.1	(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (A) Ministry of Food Processing Industries	386	0	541	335	0	2478	2365	0
31.2	(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Food Processing Industries	141	0	50	25	0	53	2287	0
32	(क) भारी उद्योग मंत्रालय (मु.) (A) M/o Heavy Industries (HQ.)	3608	0	2834	2833	1	9421	1345	9421
32.1	(क) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Heavy Industries	15378	420	8463	7670	140	123653	3669	976
32.2	(ख) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Heavy Industries	971	0	62	46	0	137	343	1223
32.3	(ग) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Heavy Industries	13254	4735	794	604	0	1126	1172	4489
33	(क) लोक उद्यम विभाग(मु.), वित्त मंत्रालय (A) D/o Public Enterprises, M/o Finance	196	0	922	361	0	0	3371	8245
33.1	(ग) लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय D/o Public Enterprises, M/o Finance	196	0	922	361	0	0	3371	8245
34	इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (मु.) Offices under M/o Steel	1528	0	4572	3725	0	10035	1395	0
34.1	(क) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Steel	35658	0	38844	28634	0	175603	2778	72997
34.2	(ख) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Steel	1742	0	1942	1311	0	2423	2158	69448

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20	9	9	11	30	190	190	190	15	15	0	0	3
5	0	0	5	5	105	105	105	115	26	89	89	4
18	11	11	7	61	253	253	253	2	1	0	1	4
50	48	48	40	96	1149	1110	1026	905	649	244	12	26
18	18	18	18	100	982	982	982	47	45	2	0	4
18	4	4	8	22	875	752	518	242	219	16	7	24
17	17	17	0	100	130	50	50	15	15	0	0	0
17	17	17	0	100	130	50	50	15	15	0	0	
7	0	0	2	0	290	290	290	22	22	0	0	4
661	97	97	512	97	7087	7087	7087	6925	4764	66	2095	112
23	91	91	6	91	432	432	432	550	550	0	0	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.3	(ग) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Steel	8857	0	11991	7956	0	59978	29409	123209
35	(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of New and Renewable Energy (HQ)	962	0	303	261	0	2271	635	0
35.1	(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o New and Renewable Energy	714	0	848	611	0	5620	838	0
35.2	(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o New and Renewable Energy	167	0	80	63	0	643	67	643
35.3	(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o New and Renewable Energy	224	0	28	28	0	0	429	969
36	(क) विद्युत मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Power (HQ.)	2188	0	3607	1730	0	13912	3834	10078
36.1	(क) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Power	16143	0	73971	60254	0	278203	4018	85838
36.2	(ख) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Power	875	0	367409	309926	0	488792	8441	102
36.3	(ग) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Power	5299	0	1868	998	0	4932	2306	120624
37	(क) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय (A) M/o Agriculture ,Co-operation and Farmer Welfare	1058	0	8064	5322	0	22165	12835	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
376	74	74	128	74	8429	8429	8429	3678	3675	26	3	131
72	81	81	15	81	394	394	394	8515	515	6500	1500	1
25	100	100	25	100	595	595	595	123	122	0	0	11
0	0	0	0	0	56	56	56	19	19	0	0	4
1	0	0	1	0	87	87	87	72	30	41	1	4
49	61	61	19	61	453	453	0	80	80	0	0	4
221	91	91	103	91	7168	7168	7168	835	624	0	0	52
356	100	100	0	100	938	938	938	94	94	0	0	52
130	95	95	129	95	1232	1232	1232	417	168	0	0	12
263	62	62	183	62	1003	1003	1003	134	134	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.1	(क) कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय (A) M/o Agriculture ,Co-operation and Farmer Welfare	1716	110	2553	1756	47	12021	2061	1809
37.2	(ख) कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय (B) M/o Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare	108	0	465	328	0	8424	839	3011
37.3	(ग) कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय (C) M/o Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare	1058	635	249	100	0	1858	1883	1448
38	(क) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (A) Department of Agricultural Research & Education	9	0	513	480	0	5710	606	0
38.1	(क) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (A) Department of Agricultural Research & Education	9447	0	15612	11895	0	19018	9923	0
38.2	(ख) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (B) Department of Agricultural Research & Education	4761	0	5812	5812	0	8216	2343	0
38.3	(ग) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (C) Department of Agricultural Research & Education	4254	0	3396	3390	0	8719	3021	0
39	मत्स्य पालन विभाग / of Fishries	210	0	65	42	0	1503	471	1503
39.1	(ख) मत्स्य पालन विभाग / (B)Department of Fishries	2366	0	1581	1062	0	2137	458	2137
39.2	(ग) मत्स्य पालन विभाग / Department of Fishries (C)	2944	0	190	145	0	2834	1891	2834
40	(क) पशु-पालन और डेयरी विभाग (मुख्यालय) (A) D/o Animal Husbandary and Dairying (HQ)	1904	0	1765	1449	0	5729	2330	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
25	72	72	7	72	177	177	177	43269	30023	2500	10745	20
4	75	75	1	75	26	26	26	24	24	0	0	8
10	60	60	7	60	82	82	82	27	23	3	0	12
8	4	4	4	50	23	23	23	27	27	0	0	3
1063	66	66	488	66	10212	10212	10212	176	114	11	56	257
639	371	371	286	58	4770	4770	4770	101	80	9	12	113
1129	51	51	701	51	8590	7851	7894	103	74	16	13	128
4	3	3	1	75	79	79	79	11	11	0	0	4
4	3	3	1	75	45	45	45	50	50	0	0	3
20	12	12	8	60	127	104	104	68	68	0	0	11
54	18	18	36	63	252	252	252	24	23	0	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.1	(क) पशु-पालन और डेयरी विभाग (A) D/o Animal Husbandary and Dairying	1847	0	6726	3058	0	8836	377	0
40.2	(ख) पशु-पालन और डेयरी विभाग (B) D/o Animal Husbandary and Dairying	1560	0	2862	1521	0	18553	2408	0
40.3	(ग) पशु-पालन और डेयरी विभाग (C) D/o Animal Husbandary and Dairying	4188	0	1379	316	0	7321	1618	0
41	(क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (A) M/o. Statistics & Programme Implementation	10163	0	50364	18053	0	87604	10706	68310
41.1	(क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	22751	0	106156	33991	0	150066	3464	146976
41.2	(ख) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	8864	0	21203	4886	0	44026	1376	42241
41.3	(ग) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	13534	0	16828	3463	0	26720	17565	3936
43	(क) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Ports, Shipping and Waterways (HQ)	1904	0	1224	863	0	11129	9406	1723
43.1	(क) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Ports, Shipping and Waterways	0	0	0	0	0	0	0	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
41	29	29	2	95	177	177	177	49	49	0	0	43
46	43	43	42	90	387	387	387	36	36	0	0	22
15	3	3	13	70	125	125	125	2	2	0	0	43
24	14	14	24	58	318	318	318	12	12	0	0	4
175	82	82	8	47	628	628	628	104	104	0	0	91
42	5	5	5	12	579	579	579	83	82	1	0	82
90	11	11	35	12	1333	1333	1333	160	160	0	0	161
15	9	9	6	60	300	300	300	141	141	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.2	(ख) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Ports, Shipping and Waterways	14036	0	16028	12158	0	43479	22311	21168
43.3	(ग) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Ports, Shipping and Waterways	9616	0	4298	3040	0	18079	29597	61506
44	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय Ministry of Road Transport & Highways	2514	0	520	419	0	11071	2883	3436
44.1	(क) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (A) Ministry of Road Transport & Highways	3939	0	5669	4476	0	11024	1269	8159
46	(क) नागर विमानन मंत्रालय (मुख्यालय) (A) Ministry of Civil Aviation (HQ)	3570	0	1465	1147	0	17748	3274	3570
46.1	(क) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Civil Aviation	19143	0	15414	12027	0	163374	14913	19143
47	(क) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसा. एवं पेट्रो-रसायन विभाग (A) M/o Chem. & Fertilizers, D/o Chemicals & Petro- Chemicals	244	0	499	289	0	14055	2461	0
47.1	(क) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (A) Offices under D/o Chemicals & Petro- Chemicals	404	0	909	909	0	9022	174	0
47.2	(ख) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (B) Offices under D/o Chemicals & Petro- Chemicals	0	0	0	0	0	0	0	0
47.3	(ग) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (C) Offices under D/o Chemicals & Petro- Chemicals	1162	0	1568	545	0	1336	2375	1096
48	(क) उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (A) Deptt. of Fertilizer, M/o Chem. & Fertilizers	755	0	1661	958	0	3398	3155	937

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
435	420	420	15	97	3005	3005	3005	867	863	1	0	31
573	471	471	102	82	3995	3855	3855	1049	931	109	9	40
24	58	58	10	58	567	567	567	70	70	0	0	4
143	119	119	24	83	1127	1127	1127	368	173	188	7	16
13	4	4	9	31	280	280	280	36	16	0	0	4
213	100	100	1	100	3929	3929	3929	537	537	0	0	87
36	27	27	9	75	162	162	162	12	12	0	0	4
5	5	5	0	100	103	103	103	97	97	0	1	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	6	6	14	43	243	243	243	86	85	0	1	8
57	52	52	5	91	272	272	272	63	63	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.1	(क) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Fertilizers	1409	0	5799	2276	0	15960	694	3429
48.2	(ख) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Fertilizers	26004	0	2020	1591	0	11622	704	34
48.3	(ग) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Fertilizers	3969	0	1117	678	0	1345	832	848
49	(क) औषध विभाग (A) Department of Pharmaceuticals	1006	0	830	206	0	2584	1566	2584
49.1	(क) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Department of Pharmaceuticals	7088	0	179	112	4	484	583	363
49.2	(ख) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Department of Pharmaceuticals	1754	0	193	184	0	10121	2261	4
49.3	(ग) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Department of Pharmaceuticals	3174	244	215	131	1	1176	1065	1169
50	(क) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (A) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Develop. and Ex. Servicemen welfare Deptt. Ministry of Defence	23040	0	4091	3150	0	516733	28825	516733
50.1	(क) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (A) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Develop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Ministry of Defence	113804	0	424472	317755	0	425803	127251	425803

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15	15	15	0	100	718	718	718	140	140	0	0	16
18	18	18	17	86	1284	1158	1158	109	109	0	0	8
3	3	3	3	100	1050	1030	1030	386	386	0	0	16
5	3	3	5	60	136	136	136	18	18	0	0	0
15	12	12	6	80	791	165	165	24	24	0	0	6
41	35	35	41	85	1308	1293	1293	40296	100	8219	1977	12
13	9	9	12	69	556	550	550	132	104	21	7	20
152	74	74	78	49	1550	1550	1550	46	46	0	0	4
2046	69	69	639	69	14331	14331	14331	44024	44024	0	0	459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.2	(ख) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (B) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Develop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Ministry of Defence	28883	0	167787	116833	0	566669	167114	566669
50.3	(ग) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (C) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Develop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Defence	66671	0	116729	78784	0	512007	198055	512007
51	(क) रक्षा उत्पादन विभाग (सचिवालय) (A) Deptt. Of Defence Production (Secretariat)	382	0	574	304	0	3372	905	1052
51.1	(क) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Defence Production	53838	0	42898	36524	0	178520	36988	23084
51.2	(ख) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Defence Production	20954	0	10098	7844	0	47751	6774	23145
51.3	(ग) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Defence Production	83173	0	13337	10109	0	187996	77569	159361
52	(क) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (A) Ministry of Commerce & D/o Commerce	1245	0	1092	918	0	5835	4383	1645
52.1	(क) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (A) Ministry of Commerce & D/o Commerce	6159	0	5096	3696	0	96684	16044	28112
52.2	(ख) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (B) Ministry of Commerce & Industry D/o Commerce	1734	0	407	304	0	3585	85	3509

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
920	63	63	336	63	7640	7640	7640	8391	8391	0	0	150
1079	610	610	469	57	15626	15626	15626	6940	6940	0	0	470
17	35	35	11	35	248	248	248	31	3	0	0	4
582	93	93	251	93	12758	12758	12758	2665	2297	31	337	110
285	66	66	96	66	9612	9612	9612	919	898	21	0	72
1682	82	82	299	82	31294	29391	29304	2987	2950	7	30	209
156	100	100	0	100	650	650	650	47	47	0	0	4
102	83	83	65	83	1293	1270	1270	328	326	0	0	26
0	0	0	0	0	137	137	0	58	58	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.3	(ग) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (C) Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce	39237	0	7725	2253	0	10395	44756	60179
53	(क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (मुख्यालय) (A) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (HQ)	453	0	5030	3303	0	28595	9373	0
53.1	(क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन कार्यालय (A) Office under Department for Promotion of Industry and Internal Trade	3892	0	4219	2476	0	21925	7792	0
53.2	(ख) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन कार्यालय (B) Office under Department for Promotion of Industry and Internal Trade	5151	0	975	930	0	46420	521	0
53.3	(ग) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन कार्यालय (C) Office under Department for Promotion of Industry and Internal Trade	242	0	6	2	0	113	477	0
54	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Science & Technology, Ministry of Science & Technology	6413	1277	1246	1021	52	15628	7126	8502
54.1	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Science & Technology	3791	139	22402	13703	0	19469	2036	101982
54.2	(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Science & Technology	3186	3	1353	1217	0	6648	1996	4358

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
215	34	34	107	34	1004	872	872	350	323	0	0	32
74	31	31	31	42	826	826	826	301	301	0	0	2
47	39	39	24	83	1480	396	1299	329	327	1	1	28
10	9	9	8	90	728	702	702	58	58	0	0	12
0	0	0	0	0	117	105	105	20	7	13	0	3
57	53	53	15	53	500	500	500	30	29	1	0	4
76	78	78	17	78	602	602	602	597	575	15	7	24
15	73	73	15	73	510	510	510	132	116	7	2	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.3	(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Science & Technology	5664	494	496	376	0	4930	3604	5105
55	(क) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology	1862	0	881	738	0	4882	1255	1108
55.1	(क) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology	6078	0	2496	1340	0	12610	3840	508
55.2	(ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology	1745	0	905	618	0	6456	2608	745
55.3	(ग) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (C) D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology	4058	0	1804	798	0	15610	5638	810
57	(क) वस्त्र मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Textiles (HQ)	1414	0	1832	1533	0	10595	4229	0
57.1	(क) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices of M/o Textiles	1679	0	11219	7589	0	44622	4535	3389
57.2	(ख) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices of M/o Textiles	3063	0	9693	5829	0	41569	3762	3827
57	(ग) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices of M/o Textiles	4808	0	2916	1729	0	12650	9064	12110
58	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Housing & Urban Affairs	2420	2420	5568	5272	0	10040	2951	10040

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
77	44	44	43	44	1183	1001	1131	340	320	20	0	36
4	4	4	4	80	383	383	383	0	0	0	0	4
12	4	4	8	65	410	410	410	0	0	0	0	24
6	2	2	6	55	305	305	305	0	0	0	0	8
9	2	2	8	50	508	508	508	0	0	0	0	42
60	62	62	23	62	360	360	360	8	8	0	0	4
117	96	96	5	96	644	644	644	231	223	0	8	23
84	94	94	5	94	493	493	493	194	193	0	1	12
71	63	63	26	63	491	491	399	130	127	0	3	0
147	89	89	58	61	802	802	802	57	57	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.1	(क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Housing & Urban Affairs	16841	16841	36093	26392	919	135859	9226	47149
58.2	(ग) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (C) Ministry of Housing & Urban Affairs	35	35	385	357	0	425	35	175
59	(क) दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Telecom. M/o Communications & Information Tech.	1333	0	1313	1050	0	4223	10694	0
59.1	(क) दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Telecommunications	46103	31094	23858	17519	1125	1823840	64192	21957
59.2	(ग) दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Telecommunications	295	13	268	74	2	1533	618	1533
60	(क) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) M/o Electronics & Information Technology	1683	0	231	199	0	1131	435	232
61	(क) डाक विभाग (मु.) (A) Deptt. of Posts (HQ)	2632	0	6251	6141	0	4932	701	4932
61.1	(क) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Posts	44661	0	357343	324275	0	445666	72425	445666
61.2	(ख) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Posts	389	0	7443	6726	0	59195	8041	59195
61.3	(ग) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Posts	7939	0	3432	3025	0	106570	92416	106570
62	(क) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (मु.) (A) M/o Labour & Employment (HQ)	2616	0	1876	1495	0	7460	3111	7460

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
723	343	343	50	47	5641	5641	5573	647	647	0	0	68
1	100	100	0	100	55	55	55	78	78	0	0	4
311	100	100	311	100	2352	2352	2352	83	83	0	0	4
2040	42	42	1228	42	6308	6289	6275	3711	528	2458	725	149
0	0	0	0	0	221	221	221	93	93	0	0	4
43	43	43	21	100	1363	1363	1363	103	103	0	0	4
45	30	30	15	67	825	825	825	163	163	0	0	4
2751	2475	2475	276	90	4715	4715	4715	8839	8839	0	0	41
23	18	18	21	78	638	638	638	120	120	0	0	16
376	263	263	340	70	2080	2080	2080	713	713	0	0	54
46	26	26	20	57	440	440	440	52	52	0	22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.1	(क) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Labour & Employment	37742	0	517835	363812	0	1461107	51293	99927
62.2	(ख) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Labour & Employment	24282	0	143005	87846	0	645650	51303	46948
62.3	(ग) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Labour & Employment	39113	0	36370	37130	0	257188	766296	1420964
63	(क) संघ लोक सेवा आयोग (A) Union Public Service Commission	3360	0	13197	7811	0	45545	4675	3353
64	(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (A) M/o of Rural Development, Deptt. of Rural Development	3257	0	17471	14050	0	25922	5133	0
64.1	(क) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under ,Deptt. of Rural Development	266	0	118	117	0	3512	240	23
64.2	(ग) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under,Deptt. of Rural Development	1170	0	256	178	0	1979	2604	0
65	(क) भूमि संसाधन विभाग (A) Deptt. of Land Resources	195	0	1095	911	0	3678	475	0
66	(क) पर्यटन मंत्रालय (A) Ministry of Tourism	1060	0	623	393	0	0	0	3199
66.1	(क) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Tourism	4853	0	3962	2819	0	16842	837	3578
66.2	(ख) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Tourism	571	0	1039	551	138	3982	1478	6198

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2357	1844	1844	1519	78	7420	7383	7377	551	527	11	13	182
1136	83	83	519	83	5425	5425	5425	188	178	0	22	150
1762	705	705	1111	40	7974	7974	7974	112	91	0	21	274
174	63	63	111	63	1100	1100	1100	124	124	0	0	4
21	17	17	21	81	751	751	751	31	31	0	0	4
28	28	28	28	70	151	151	151	8	7	0	1	12
42	28	28	14	50	361	361	361	26	2	0	0	3
5	40	40	5	40	135	135	135	16	16	0	0	4
57	33	33	24	58	250	250	250	33	33	0	0	4
46	37	37	9	80	649	649	649	153	153	0	0	26
42	41	41	1	98	293	293	293	77	77	0	0	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.3	(ग) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Tourism	2354	0	436	261	0	1931	2410	2656
67	(क) संस्कृति मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Culture (HQ)	4549	0	2848	2330	0	19542	7103	4549
67.1	(क) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Culture	11570	0	22918	14324	0	62128	13200	11954
67.2	(ख) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B)	2570	0	2635	1826	0	2405	572	2585
67.3	(ग) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Culture	7063	0	7256	3660	0	11957	8593	12574
68	(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Tribal Affairs	4507	0	4587	3453	0	5455	1998	940
68.1	(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Tribal Affairs	936	0	5181	3569	0	8424	1449	1947
69	(क) भारत निर्वाचन आयोग (A) Election Commission of India	7992	0	118032	93097	0	66272	14490	66272
70	(क) पंचायती राज मंत्रालय (A) Panchayati Raj Mantralaya	449	0	2912	2749	0	1679	2330	1679
71	(क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (A) Ministry of Youth Affairs & Sports	1235	0	1545	1303	0	12680	2341	1355
71.1	(क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (A) Ministry of Youth Affairs & Sports	7754	0	10152	7088	0	29874	1910	23783
72	(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (A) Development	1589	0	507	407	0	3099	868	3099

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
41	28	28	13	68	347	347	347	208	208	0	0	21
58	59	59	24	59	310	310	310	43	42	0	1	4
238	80	80	47	80	2620	2567	2486	1649	857	673	1198	4
11	6	6	5	55	36	32	17	23	23	0	0	4
251	52	52	120	52	1169	872	849	274	136	133	5	4
11	18	18	0	18	118	118	118	47	47	0	0	4
30	70	70	28	70	269	269	269	35	35	0	0	9
110	91	91	10	91	883	883	883	112	108	4	0	1
8	6	6	2	75	160	160	160	11	11	0	0	3
67	82	82	12	82	366	366	366	15	15	0	0	4
40	95	95	40	95	915	915	915	72	72	0	0	12
8	6	6	2	75	150	150	150	20	20	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.1	(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (C) Ministry of North Eastern Region	370	0	164	151	0	1786	8763	45773
73	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मु. (A) Ministry of Minority Affairs	395	395	943	705	0	5666	3241	8907
73.1	(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय Ministry of Minority Affairs	349	0	374	1812	47	6739	1293	461
74	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (A) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	938	0	949	847	3	7630	1051	7630
74.1	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (A) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	2147	0	2060	1526	0	16877	2653	3040
74.2	(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	123	0	4781	3023	0	16187	3644	0
74.3	(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	302	0	396	194	0	7074	2645	7074
75	(क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Petroleum & Natural Gas (HQ)	2179	0	3326	2020	0	14590	2274	16864
75.1	(क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	30156	0	192470	150936	0	13256607	526484	1033637

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21	5	5	4	24	347	347	347	62	44	10	0	16
50	74	74	13	74	193	193	193	13	13	0	0	4
18	94	94	17	94	174	174	174	64	55	9	0	12
15	27	27	11	27	187	187	187	21	21	0	0	4
38	97	97	27	97	392	392	392	108	108	0	0	5
40	98	98	1	98	737	715	715	32	32	0	0	8
16	100	100	16	100	397	397	397	125	86	39	0	8
30	30	30	30	100	275	275	275	57	57	0	10	4
3086	3086	3086	2972	100	18936	18936	18936	817	807	0	10	544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.2	(ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	24062	0	175772	109782	0	3247390	277594	1005521
75.3	(ग) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	16452	0	148143	103779	0	957110	482034	282059
76	(क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Corporate Affairs	8480	8480	3307	2788	0	31411	4250	27161
76.1	(क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Corporate Affairs	1203	0	3777	3777	0	28452	2846	25606
76.2	(ख) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Corporate Affairs	322	0	1410	1390	0	1718	568	1150
76.3	(ग) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Corporate Affairs	572	0	1564	1538	0	1518	970	548
77	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (सु.) Ministry of Women and child Development	3431	0	2901	2405	0	8313	2503	633
77.1	(क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय Ministry of Women and child Development	1859	0	41790	39775	0	56250	7377	25495
78	पेयजल और स्वच्छता विभाग (A) Department of Drinking Water and Sanitation	2129	0	4942	3485	0	20611	4414	1514
79	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (A) Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1564	0	5094	4530	0	8454	8188	8454

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12812	12812	12812	12540	100	23925	23925	23925	915	908	0	7	510
9354	9348	9348	8572	100	29850	29848	29848	1727	1679	0	48	693
33	88	88	33	88	284	284	284	270	0	0	0	4
15	80	80	16	80	210	210	210	213	40	131	0	3
10	80	80	9	80	35	35	35	214	0	0	0	4
8	75	75	4	75	40	40	40	214	0	0	0	4
18	44	44	10	44	492	492	492	4	4	0	0	1
10	100	100	10	100	457	457	371	104	98	6	0	15
30	21	21	9	80	246	246	42	42	0	0	0	4
3	2	2	2	67	105	105	105	14	14	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.1	(क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (B) Department of Empowerment of Persons with Disabilities	4635	0	9154	5376	0	20413	16964	17007
79.2	(ख) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (B) Department of Empowerment of Persons with Disabilities	494	0	881	591	0	1024	884	0
79.3	(ग) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (C) Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1472	0	369	260	0	2284	3050	2312
80	(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (A) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	3714	0	952	844	0	2917	1977	2917
81	सहकारिता मंत्रालय Ministry of Cooperation	977	0	2157	1177	0	1798	2461	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
64	77	77	49	77	504	488	490	41	40	1	0	28
16	100	100	0	100	140	140	140	120	120	0	0	4
18	11	11	17	11	442	442	442	213	213	0	0	15
9	5	5	4	60	170	170	170	59	59	0	0	4
18	100	100	18	100	198	198	198	6	6	0	0	4

CHAPTER-2

PART-B

Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments /Offices etc. during the year 2024-25

Ministries/Departments/ Offices which have violated the Section 3 (3) of the Official Languages Act, 1963			Ministries/Departments/ Offices which have violated Rule-5 of Official Language Rules, 1976		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/Departments/ Offices	Sr. No.	Code No.	Ministries/Departments/ Offices
1.	8.3	Offices under D/o Food & Public Distribution	1.	8.3	Offices under D/o Food & Public Distribution
2.	10.1 to 10.3	Ministry of Home Affairs, region A to C	2.	10.1 to 10.3	Ministry of Home Affairs, region A to C
3.	20.2	(B) Offices under Department of Legal Affairs	3.	20	(A) Department of Legal Affairs (HQ), M/o Law & Justice
4.	24.2	(B) Offices Under Deptt. of Economic Affairs	4.	23.1	(A) Offices under Deptt. of Revenue
5	32.1 & 32.3	Ministry of Heavy Industries, region A and C	5.	32 & 32.1	Ministry of Heavy Industries(HQ), region A
6.	37.1 & 37.3	Ministry of Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare, region A and C	6.	37.1	Ministry of Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare, region A
7	49.3	(C) Department of Pharmaceuticals	7.	49.1 & 49.3	Department of Pharmaceuticals, region A and C
8.	54 to 54.3	Department of Science & Technology, Ministry of Technology, region A and C	8.	54	Department of Science & Technology, Ministry of Technology,
9.	58, 58.1 to 58.2	Ministry of Housing & Urban Affairs	9.	58.1 to 58.2	Ministry of Housing & Urban Affairs, region A and C
10.	59.1 to 59.2	Department of Telecom. M/o Communications & Information Tech. region A and B	10.	59.1 to 59.2	Offices Under Department of Telecommunications, region A and B
11.	73	Ministry of Minority Affairs	11.	66.2	(B) Offices Under M/o Tourism
12.	76	Ministry of Corporate Affairs	12.	73.1	(A) Ministry of Minority Affairs
			13.	74	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise

अध्याय-2
भाग-ख

वर्ष 2024-25 के दौरान मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालय/ विभागों के नाम, जिनमें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (3)3 का उल्लंघन हुआ है:			मंत्रालय/ विभागों के नाम, जिनमें राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन हुआ है:		
क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों विभागों/ कार्यालयों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों विभागों/ कार्यालयों के नाम
1.	8.2 से 8.3	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन कार्यालय	1.	8.3	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन कार्यालय
2.	10.1 से 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	2.	10.1 से 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
3.	20.2	विधि विभाग के अधीन कार्यालय	3.	20	विधि कार्य विभाग (मु.), विधि और न्याय मंत्रालय
4.	24.2	आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय	4.	23.1	राजस्व विभाग के अधीन कार्यालय
5.	32.1 एवं 32.3	भारी उद्योग मंत्रालय के 'क' से 'ग' अधीन कार्यालय	5.	32 एवं 32.1	भारी उद्योग मंत्रालय व मंत्रालय के अधीन कार्यालय
6.	37.1 एवं 37.3	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 'क' से 'ग' अधीन कार्यालय	6.	37.1	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यालय
7.	49.3	औषध विभाग के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	7.	49.1 एवं 49.3	औषध विभाग के अधीन कार्यालय
8.	54 से 54.3	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मु.) एवं 'क' से 'ग' क्षेत्र के अधीन कार्यालय	8.	54	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
9.	58, 58.1 से 58.2	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (मु.) के अधीन 'क' से 'ख' क्षेत्र के अधीन कार्यालय	9.	58.1 से 58.2	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय
10.	59.1 से 59.2	संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के अधीन 'क', व 'ख', क्षेत्र के अधीन कार्यालय	10.	59.1 से 59.2	दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यालय
11.	73	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (मु.)	11.	66.2	पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय
12.	76	कारपोरेट कार्य मंत्रालय (मु.)	12.	73.1	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय
			13	74	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

CHAPTER-2

PART-B

Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments/Offices etc., during the year 2024-25

The Ministries/Depts. where Codes/Manuals etc. are not bilingual as per Rules:-			The Ministries/Depts. where Codes/Manuals etc. are not bilingual as per Rules:-		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices	S.No	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices
1.	1, 1.1 to 1.2	Department of Space (Secretariat) & its Centres under, region B & C	22.	25.13, 25.13.1 to 25.13.3	Indian Bank (HQ) and its offices in- region A to C
2.	2.1 & 2.3	Offices under M/o Coal region A to C	23.	25.14,25.14.1 to 25.14.3	National Housing Bank (HQ) and its offices in- region A to C
3.	5.1	M/o Personnel, Pub. Grievances & Pensions, D/o Personnel & Training in region-A	24.	25.15, 25.15.1 to 25.15.3	The Oriental Insurance Co. Ltd (HQ) and its offices in region A to C
4.	8.3	Offices under Deptt. of Food & Public Distribution under region-c	25.	25.16, 25.16.1 to 25.16.3	The United India Insurance Co. Ltd (HQ) and its offices in region A to C
5.	9.1 & 9.3	Offices under Deptt. of Consumer Affairs, region A & C	26.	25.20,25.20.1 to 25.20.3	IOB (HQ) & its offices in region A to C
6.	10.1 to 10.3	Offices under Ministry of Home Affairs region A to C	27.	25.22,25.22.1 to 25.22.3	Canara Bank. (HQ) & its offices in region A to C
7.	12.1 to 12.3	Offices under Deptt. of Atomic Energy of its Units/ Undertakings/Institutions under region A to C	28.	26	Ministry of Health & Family Welfare (HQ)
8.	14.1 to 14.3	Offices under M/o Education , D/o Higher Education region A & C	29.	29.1 to 29.3	Ministry of Information & Broadcasting offices in region A
9.	16.1	Offices under NITI AYOOG Offices under region A	30.	31& 31.1 to 31.2	Offices under Ministry of Food Processing Industries in region-B
10.	17.1 to 17.2	M/o Railways (Railway Board) and its offices under region A to C	31.	32 & 32.1 to 32.3	Offices under M/o Heavy Industries in region A to C
11.	18.1 to 18.2	Ministry of External Affairs, region B	32.	34.1 & 34.3	Offices under M/o Steel- region- 'A & C'
12.	20.1 to 20.3	Offices under Department of Legal Affairs– Region 'A to C'	33.	35.3	Offices under M/o New and Renewable Energy- Region-A & C
13.	21.1	Offices under Department of Expenditure region-A	34.	37.1 & 37.3	M/o Agriculture ,Co-operation and Farmer Welfare in region A & C
14.	23.1	Offices under Deptt. of Revenue region- A	35.	38.1 to 38.3	Department of Agricultural Research & Education offices in region A to C
15.	24.2& 24.3	Deptt. of Economic Affairs Ministry of Finance and its offices under region B to C	36.	40	Offices under M/o Ministry of Animal Husbandry and Dairying(HQ)
16.	25.4 & 25.4.1 to 25.4.2	Bank of India (HQ) and its offices in region A to C	37.	41.2	(B) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation
17.	25.5 and 25.5.1 to 25.5.3	SIDBI and its offices in region A to C	38.	43.1 to 43.3	Offices under M/o Shipping, region B & C
18.	25.7.1 and 25.7.3	NABARD (HQ) and its offices in region A & C	39.	44.1	Ministry of Road Transport & Highways
19.	25.9 to 25.9.1& 25.9.3	Punjab & Sind Bank (HQ) and its offices in region A to C	40.	47.1 & 47.3	Offices under D/o Chemicals & Petro-Chemicals, region A & C
20.	25.10, 25.10.1 & 25.10.3	IDBI (HQ) and Its offices under IDBI in region A to C.	41.	49.2 to 49.3	Offices under D/o Pharmaceuticals in region B to C.
21.	25.12, 25.12.1 & 25.12.3	Union Bank of India in region A to C	42.	51.1 to 51.3	Offices under Deptt. of Defence Production, Region A to C

अध्याय-2

भाग-ख

वर्ष 2024-25 के दौरान मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:			मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:		
क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के नाम
1.	1, 1.1 से 1.2	अंतरिक्ष विभाग (मुख्यालय) तथा अंतरिक्ष विभाग के अधीन 'क' और 'ख' क्षेत्र के कार्यालय	22.	25.13, 25.13.1 से 25.13.3	इंडियन बैंक (प्रधान कार्यालय) और उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
2.	2.1 एवं 2.3	कोयला मंत्रालय और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	23.	25.14, 25.14.1 से 25.14.3	राष्ट्रीय आवास बैंक (प्रधान कार्यालय और उसके) अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
3.	5.1	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 'क' क्षेत्र के कार्यालय	24.	25.15, 25.15.1 से 25.15.3	दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
4.	8.3	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	25.	25.16, 25.16.1 से 25.16.3	युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
5.	9.1	उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन 'क' व 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	26.	25.20, 25.20.1 से 25.20.3	इंडियन ओवरसीज बैंक (मुख्यालय) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
6.	10.1 से 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	27.	25.22, 25.22.1 से 25.22.3	केनरा बैंक (मुख्यालय) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
7.	12.1 से 12.3	परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के यूनिट संस्थान / उपक्रम	28.	26	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मु.)
8.	14.1 से 14.3	उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	29.	29.1 से 29.3	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
9.	16.1	नीति आयोग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	30.	31 एवं 31.1 से 31.2	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय
10.	17.1 से 17.3	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	31.	32 एवं 32.1 से 32.3	भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन 'क' तथा 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
11.	18.1 से 18.2	विदेश मंत्रालय के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय	32.	34.1 एवं 34.3	इस्पात मंत्रालय के अधीन 'क' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
12.	20.1 से 20.3	विधि कार्य विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	33.	35.3	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन 'क' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
13.	21.1	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	34.	37.1 एवं 37.3	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 'क' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
14.	23.1	राजस्व विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	35.	38.1 से 38.3	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के अधीन 'क' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
15.	24.2 एवं 24.3	आर्थिक कार्य विभाग (मु0) के अधीन 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	36.	40	पशु- पालन और डेयरी विभाग (मु.)
16.	25.4 एवं 25.4.1 to 25.4.2	बैंक ऑफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) तथा इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	37.	41.2	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय
17.	25.5 एवं 25.5.1 से 25.5.3	सिडबी(प्रधान कार्यालय) तथा इसके 'क' से 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालय	38.	43.1 से 43.3	पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन 'ख' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
18.	25.7.1 एवं 25.7.3	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (मुख्या) और उसके अधीन 'क' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	39.	44.1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
19.	25.9 से 25.9.1 एवं 25.9.3	पंजाब एंड सिंध बैंक (प्रधान कार्यालय) और उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	40.	47.1 एवं 47.3	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
20.	25.10, 25.10.1 एवं 25.10.3	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) और उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	41.	49.2 से 49.3	औषध विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
21.	25.12 एवं 25.12.1 से 25.12.3	यूनियन बैंक आफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) और उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	42.	51.1 से 51.3	रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय

CHAPTER-2

PART-B (Contd....)

Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments/Offices etc. during the year 2024-25

The Ministries/ Departments/ Offices where Codes/Manuals etc. are not bilingual as per Rules:-			The Ministries/ Departments/ Offices where Codes/Manuals etc. are not bilingual as per Rules:-		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices	Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices
43.	53.1 & 53.3	D/o Industrial Policy & Promotion Offices, Internal Trade under - region A & C	55.	76.1	(A) Offices under Ministry of Corporate Affairs
44.	54.1 & 54.3	D/o Science & Technology, Ministry of Science & Technology Offices under – region ‘A & C’	56.	77.1	Ministry of Women and Child Development in region ‘A’
45.	57.1 to 57.3	Offices of M/o Textiles- region ‘A to C’			
46.	59.1	D/o Telecom. M/o Communications & Information Offices under region A & B			
47.	62 & 62.1 to 62.3	Ministry of Labour and Employment in region ‘A to C’			
48.	64.1	Offices under, Deptt. of Rural Development region B			
49.	67,67.1, & 67.2	Offices under M/o Culture (HQ) and its Offices under region A & C			
50.	69	Election Commission of India (HQ)			
51.	72.1	Ministry of North Eastern Region ‘A’			
52.	73.1	Ministry of Minority Affairs, region ‘A’			
53.	74.3	Offices under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise in region ‘C’			
54.	75.1 to 75.3	Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas, region ‘A’ to “C’			

अध्याय-2 (जारी.....)
भाग-ख

वर्ष 2024-25 के दौरान मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:			मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:		
क्र.सं.	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के नाम	क्र.सं.	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के नाम
43.	53.1 एवं 53.3	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन 'क' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	55.	76.1	(क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय
44.	54.1 एवं 54.3	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन 'क' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	56.	77.1	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र का कार्यालय
45.	57.1 से 57.3	वस्त्र मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
46.	59.1	दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन 'क' और ख क्षेत्र के कार्यालय			
47.	62 एवं 62.1 से 62.3	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
48.	64.1	ग्रामीण विकास विभाग के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय			
49.	67,67.1, एवं 67.3	संस्कृति मंत्रालय (मुख्या.) तथा उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
50.	69	निर्वाचन आयोग (मुख्यालय)			
51.	72.1	उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय			
52.	73.1	अल्प संख्यक मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र का कार्यालय			
53.	74.3	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
54.	75.1 से 75.3	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			

CHAPTER-2

PART-B

**Assessment of the implementation of the Official Language Policy
in Ministries/Departments/Offices etc., during the year 2024-25**

Names of the Ministries/Depts. which have not convened the prescribed 04 meetings of Official Language Implementation Committee during the year.			Names of the Ministries/Depts. which have not convened the prescribed 04 meetings of official language Implementation committee during the year.		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments	Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments
1.	4	Ministry of Social Justice & Empowerment (HQ)	18.	76.1	(A) Offices under Ministry of Corporate Affairs
2.	11, 11.1 to 11.3	Ministry of Jal Shakti (HQ)	19.	77	Ministry of Women and Child Development
3.	21.1	Deptt. of Expenditure (HQ), Ministry of Finance			
4.	24	Deptt. of Economic Affairs (HQ), Ministry of Finance			
5.	31.1	Ministry of Food Processing Industries			
6.	35	Ministry of New and Renewable Energy (HQ)			
7.	38	Department of Agricultural Research & Education (HQ)			
8.	39.1	Deptt. of Fishries			
9.	43.1	Offices under Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
10.	47.2	Offices under D/o Chemicals & petro-Chemicals			
11.	48	(A) Deptt. of Fertilizer, M/o Chemical & Fertilizers (HQ)			
12.	49	Department of Pharmaceuticals			
13.	53	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (HQ)			
14.	57.3	(C) Offices of M/o Textiles			
15.	64.2	(B) offices under, Deptt. Ministry of Rural Development,			
16.	69	Election Commission of India (HQ)			
17.	70	Ministry of Panchayati Raj (HQ)			

अध्याय-2

भाग-ख

वर्ष 2024-25 के दौरान मंत्रालय/विभागों / कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निर्धारित चार बैठकें आयोजित नहीं हुई :			मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निर्धारित चार बैठकें आयोजित नहीं हुई :		
क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम
1.	4	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (मु.)	18.	76.1	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के क क्षेत्र के कार्यालय
2.	11,11.1 से 11.3	जल शक्ति मंत्रालय (मु.) और अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	19.	77	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (मु.)
3.	21	व्यय विभाग (मु.) वित्त मंत्रालय			
4.	24	आर्थिक कार्य विभाग (मु.) वित्त मंत्रालय			
5.	31.1	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन (क) क्षेत्र के कार्यालय			
6.	35	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (मु.)			
7.	38	कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय (मु.)			
8.	39.1	मत्स्य पालन विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय			
9.	43.1	पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय			
10.	47.2	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय			
11.	48	उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (मु.)			
12.	49	औषध विभाग (मु.)			
13.	53	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (मु.) और अधीन कार्यालय का 'ग' क्षेत्र			
14.	57.3	वस्त्र मंत्रालय के 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
15.	64.2	ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के अधीन "ख" क्षेत्र के कार्यालय			
16.	69	भारत निर्वाचन आयोग (मु.)			
17.	70	पंचायती राज मंत्रालय (मु.)			

CHAPTER-3

SHORTCOMINGS NOTICED IN THE IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY, REMEDIAL MEASURES FOR REMOVING THEM AND SUGGESTIONS FOR BETTER IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

Sources of Statistics on Implementation of Official Language

The implementation of the provisions of the Official Languages Act, 1963 and Official Language Rules, 1976 framed there under and orders/instructions issued by the Government of India from time to time for stepping up the use of Hindi is ensured by close monitoring of the Quarterly Progress Reports, Annual Assessment Reports and Six-monthly Reports pertaining to training in Hindi, Hindi Typing/Hindi Stenography, IT Tools and Translation Skills. All Ministries/Departments of Central Government prepare the above reports in the prescribed proforma showing the progress made in the use of Hindi and these reports are sent to the Department of Official Language. These reports are scrutinized in the Department of Official Language and shortcomings are brought to the notice of concerned Ministries/Departments.

The deficiencies noticed by comparative assessment of the implementation/ work done by various Ministries / Departments, Offices, Undertakings, etc. have been mentioned in Part -B of Chapter 2.

Suggestions for removing the deficiencies noticed in implementation:

The following action is suggested by the Department of Official Language for addressing the deficiencies noticed:

- (1) The pending work of Hindi translation of Central Rules, Manuals, Forms, Codes and other procedural literature should be got completed on priority basis according to time bound programme and its publication should be in diglot-form.
- (2) Every office must send its reply in Hindi to letters received in Hindi. This Point has always been stressed upon while reviewing the Quarterly Progress reports. If letter received in Hindi is replied to in English the matter is brought to the notice of the concerned office. Offices concerned are requested to review the matter so as to avoid recurrence.
- (3) With a view to increase Hindi Correspondence, original Hindi noting/drafting may be encouraged. Ministries / Departments have been asked to do maximum correspondence in Hindi.
- (4) Documents mentioned under Section 3 (3) of the Official Languages Act must be issued bilingually. It is specifically stressed that all these documents must be issued in both Hindi and English simultaneously.
- (5) Central Government Offices should ensure that all the computers have Unicode enabled on them so that official work in Hindi is done on them easily and smoothly.
- (6) Extensive review of progress made in implementation of Official Language Policy should be made in the meetings of the Official Language implementation committees and the Town Official Language Implementation Committees.

(7) It is emphasized that the employees not having working knowledge of Hindi may be got trained through Hindi Teaching Scheme / Central Hindi Training Institute or through the correspondence course of the Central Hindi Directorate.

(8) In the meetings of Hindi Advisory committee, Official Language Implementation Committees and the Town Official Language Implementation Committees as well as on other occasions, attention of senior officers is drawn to the need to encourage the staff to work in Hindi and they are also asked to do their work in Hindi progressively.

Measures for removing the shortcomings noticed in implementation:

A number of significant initiatives have been taken by the DOL and notable achievements have been made by various Ministries/ Departments towards wider and more effective use of Hindi as Official Language. Salient features of measures taken by the Department of Official Language include the following:

(i) Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojna

With the objective of promoting Hindi as the Official Language and encouraging original book writing in Hindi, the Department of Official Language has implemented the revised “Rajbhasha Gaurav Award Scheme” for original books written in Hindi and books translated into Hindi, effective from the year 2025-26. Under this scheme, awards will be conferred upon citizens of India in the following categories and subjects:

- i) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology and contemporary topics like Liberalisation, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution.
- ii) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi on the subjects of Law and Police Research, Forensic Science, Criminology and Police Administration etc.
- iii) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage etc.
- iv) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi by the author of 'C' region (on the subjects of all the above categories).
- v) Rajbhasha Gaurav Puraskar for books translated in Hindi – For translated books on classics and subjects related to culture, art, heritage.

To promote use of official language Hindi. “**Rajbhasha Kirti Puraskar**” are given by the Department of Official Language to Ministries/Departments, Public Sector Undertakings, Boards/Autonomous Bodies/Trusts etc., Nationalized Banks, TOLICs and in-house Hindi Magazines which register significant progress in the use of Official Language. Information about these two award schemes is available at the website of the Department of Official Language www.rajbhasha.gov.in.

अध्याय-3

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां और उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय तथा राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव

राजभाषा के कार्यान्वयन पर सांख्यिकी के स्रोत

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों और हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों का कार्यान्वयन तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट और हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा अनुवाद दक्षताओं से संबंधित छमाही रिपोर्ट के द्वारा निगरानी करके सुनिश्चित की जाती है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में उपर्युक्त रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। राजभाषा विभाग में इन रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और कमियों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाया जाता है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों इत्यादि द्वारा किए गए कार्यान्वयन/कार्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद जानकारी में आई कमियों का अध्याय-2 के भाग 'ख' में उल्लेख किया गया है-

कार्यान्वयन में संज्ञान में आई कमियों को दूर करने के लिए सुझाव:

इस संबंध में संज्ञान में आई कमियों के बारे में अवगत कराते हुए राजभाषा विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है :-

- (1) जिन केंद्रीय नियमों, मैनुअलों, फार्मों, संहिताओं और अन्य प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद शेष है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अनूदित कराया जाना चाहिए और उसका डिप्लॉट रूप में प्रकाशन होना चाहिए।
- (2) प्रत्येक कार्यालय को हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही देना है। इस मुद्दे पर प्रत्येक तिमाही प्रगति रिपोर्ट में निरंतर जोर दिया जाता है। यदि हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाता है तो इस मुद्दे को संबंधित कार्यालय के ध्यान में लाया जाता है। संबंधित कार्यालय से अनुरोध है कि इस मुद्दे की समीक्षा करें ताकि ऐसी पुनरावृत्ति न हो।
- (3) हिंदी में पत्राचार की वृद्धि के लिए मूल हिंदी टिप्पण/मसौदा लेखन को बढ़ावा दिया जाए। मंत्रालयों/विभागों को अधिकाधिक पत्राचार हिंदी में करने के निर्देश दिए गए हैं।
- (4) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लिखित दस्तावेजों को अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किया जाए। इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किए जाएं।
- (5) केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा हो ताकि उन पर हिंदी में सरलता और सहजता से काम किया जा सके।
- (6) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए।

(7) जिन कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान अथवा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

(8) हिंदी सलाहकार समितियों, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में और अन्य अवसरों पर कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाए और उनसे उत्तरोत्तर हिंदी में कार्य करने के लिए भी अनुरोध किया जाए।

कार्यान्वयन में संज्ञान में आई कमियों को दूर करने के लिए उपाय:-

राजभाषा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के व्यापक और अधिक प्रभावी उपयोग के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। राजभाषा विभाग द्वारा किए गए उपायों सहित अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं-

(i) राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं हिंदी में अनूदित पुस्तक हेतु संशोधित "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारत के नागरिकों को निम्नलिखित श्रेणियों और विषयों पर पुरस्कार दिए जाएंगे:-

- (1) इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (2) विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (3) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (4) 'ग' क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपयुक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।
- (5) हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।

राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों/स्वायत्त निकायों/ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंकों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" दिए जाते हैं। इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

(ii) To make personnel of Central Government proficient in Hindi in official work, a training programme “PARANGAT” is being run.

(iii) New Town official Language Implementation Committee is constituted wherever required. The target is to have a Town official Language Implementation committee in each of such district headquarter/ major city in the district having 10 or more Central Government offices.

(iv) The regional Official Language conferences are being held in different parts of the country to ensure effective implementation of Official Language Policy and to encourage the employees of different Central Government Offices.

(v) Hindi Diwas 2025 and the Fifth All India Official Language Conference, Gandhinagar (Gujarat)

The Department of Official Language organized the Hindi Day Celebration 2025 and the Fifth All India Official Language Conference on 14–15 September 2025 in Gandhinagar, Gujarat. On this occasion, the Hon’ble Minister of Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah, graced the programme as the Chief Guest. The ceremony was also attended by several distinguished dignitaries including Hon’ble Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, Hon’ble Minister of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal and Hon’ble Minister of State for Home Affairs, Shri Bandi Sanjay Kumar. A large number of senior officers, academicians, litterateurs, language experts and Official Language officers from various Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Banks, and autonomous institutions of the Central Government participated in the conference.

On this occasion, Rajbhasha Kirti Awards and Rajbhasha Gaurav Awards were presented to Ministries, Departments, Banks, Public Sector Undertakings and writers & litterateurs for their outstanding work in the field of implementation of Official Language. The Union Minister of Home Affairs and Cooperation also released the book published by the Department of Official Language titled “*Bhartiya Bhashayein Aur Rajbhasha Hindi: Anuvad Ke Aayaam.*”

While addressing the conference, the Hon’ble Home and Cooperation Minister stated that Hindi is a friend of all Indian languages and there is no conflict between Hindi and other Indian languages, whatsoever. He observed that the coexistence of Gujarati and Hindi has made Gujarat an ideal example of the parallel development of both languages.

Shri Amit Shah further stated that for the past five years, the All India Official Language Conference has been organized in different parts of the country. This provides an excellent opportunity to strengthen dialogue between Official Language Hindi and other Indian languages of the country, bringing new perspectives, energy and inspiration. He said that Sanskrit has given us the river of knowledge, Hindi has carried that knowledge to every home, and the mother tongue has taken it to the masses. He appealed to all parents to communicate with their children in their mother tongue and to teach them to speak, read and write in it.

The Union Home Minister also mentioned that in the digital era, it is extremely important to use modern technology and translation systems to increase the use of Hindi and other Indian languages. The “Sarathi” translation system, developed by the Department of Official Language, provides a facility for easy translation from Hindi into all recognized Indian languages. He stated that in the coming days, communication through Sarathi will take place in our own languages.

Shri Shah also expressed confidence that the digital dictionary “Hindi Shabd Sindhu” will become the largest dictionary in the world by the year 2029. He stated that the use of Shabd Sindhu will make Hindi more versatile, flexible and accessible to the masses.

He further said that inspired by Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Home Affairs has created Bhartiya Bhasha Anubhag under the Department of Official Language, which will strengthen not only Hindi but all Indian languages and work towards their advancement.

During the conference sessions, detailed discussions were held on topics such as effective implementation of the Official Language Policy, the importance and role of Town Official Language Implementation Committees, translation arrangements, the use of Hindi in Information Technology and the role of Indian languages in administrative work. The speakers emphasized the strength, importance and interrelationship of Hindi and other Indian languages.

At the end of the programme, cultural performances were also organized, showcasing the diversity of Indian languages and rich culture. These presentations effectively reflected the significance of Hindi Diwas and the rich traditions of Indian languages.

Thus, the Hindi Day 2025 celebration and the Fifth All India Official Language Conference held in Gandhinagar concluded successfully. The event proved to be an important platform for increasing awareness about the Official Language Policy, encouraging the wider use of Hindi and promoting the coordinated development of Indian languages.

(vi) Various awards schemes are being implemented to encourage the use of Rajbhasha Hindi in the official work of Ministries/Departments, Undertakings and Banks. The outstanding achievements are being recognized and honored during the Hindi Day celebrations and Regional Conferences.

(vii) With a view to advising the Ministries/ Departments of Central Government regarding the smooth implementation of Official Language policy, Hindi Advisory Committees have been constituted under the chairmanship of their respective Ministers.

(viii) With a view to reviewing the progressive use of Hindi in the Ministries/ Departments of the Central Govt., a Central Official Language Implementation Committee has been constituted in the Department of Official Language under the chairmanship of Secretary, Department of Official Language. The Officer in-charge (Joint Secretary level) entrusted with the work of Official Language Hindi in Ministries/ Departments are members of this Committee.

(ix) **LILA-Rajbhasha (Learn Indian Languages through Artificial Intelligence)** mobile app was launched on 14 September 2017. The package is available on the department’s website www.rajbhasha.gov.in. Apart from English and Hindi, the Central Government employees can learn Hindi on their own in 14 other Indian languages respectively, Assamese, Bodo, Bangla, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Tamil and Telugu.

(x) “**Lila Hindi Pravah**” was released on 14th September, 2018. This new syllabus under the name “LILA Hindi Pravah” has been designed to provide higher knowledge of Hindi to the general public as well as employees having working knowledge of Hindi language. In addition to English, Hindi can be learned on their own through 14 other Indian languages.

(ii) केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने में दक्ष बनाने के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम 'पारंगत' शुरू किया गया है।

(iii) जहां कहीं आवश्यकता होती है, नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाती हैं। ऐसे जिला मुख्यालयों/जिले के बड़े शहरों, जहां केंद्र सरकार के 10 अथवा अधिक कार्यालय हैं, प्रत्येक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने का लक्ष्य है।

(iv) राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों के प्रोत्साहन हेतु देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।

(v) हिंदी दिवस 2025 एवं पांचवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, गांधीनगर (गुजरात)

राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 14-15 सितंबर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात में हिंदी दिवस समारोह 2025 एवं पंचम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ायी। समारोह में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल, माननीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और माननीय केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री बंडी संजय कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों तथा स्वायत्त संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, शिक्षाविद्, साहित्यकार एवं भाषा विशेषज्ञ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंत्रालयों, विभागों, बैंकों तथा उपक्रमों तथा लेखकों एवं साहित्यकारों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने अपने कर-कमलों से राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 'भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी: अनुवाद के आयाम' का लोकार्पण किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हिन्दी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं के बीच कोई अंतर्द्वंद नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजराती और हिन्दी के सहअस्तित्व से गुजरात दोनों भाषाओं के विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना।

श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 साल से अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिल्ली से बाहर देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहा है जिससे राजभाषा हिन्दी और देश की अन्य भाषाओं के बीच संवाद बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। इससे नई दृष्टि, ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि संस्कृत ने हमें ज्ञान की गंगा दी है और हिन्दी ने उस ज्ञान को हर घर और मातृभाषा ने उसे जन-जन तक पहुंचाया है। उन्होंने सभी अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों से मातृभाषा में संवाद करें और बच्चों को मातृभाषा बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाएं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि डिजिटल युग में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और अनुवाद प्रणालियों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित सारथी अनुवाद प्रणाली में हिंदी से भारत की सभी मान्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सारथी के माध्यम से हम सबका संवाद स्वभाषा में ही होगा।

श्री शाह ने डिजिटल शब्दकोश हिंदी शब्दसिंधु के बारे में यह विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2029 तक यह दुनिया की सभी भाषाओं में सबसे बड़ा शब्दकोश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि शब्दसिंधु का प्रयोग हिन्दी को बहुपयोगी, लचीली और लोकभोग्य बनाएगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से गृह मंत्रालय ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग बनाया है जो हिन्दी ही नहीं बल्कि देश की सभी भारतीय भाषाओं को बल देगा और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगा।

सम्मेलन के सत्रों में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का महत्व एवं भूमिका, अनुवाद व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के उपयोग तथा प्रशासनिक कार्यों में भारतीय भाषाओं की भूमिका जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने हिंदी और भारतीय भाषाओं के सामर्थ्य, महत्ता एवं परस्पर अंतरसंबंध पर बल दिया।

कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया गया, जिनमें भारतीय भाषाओं और संस्कृति की विविधता की झलक देखने को मिली। इन प्रस्तुतियों ने हिंदी दिवस के महत्व और भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया।

इस प्रकार, गांधीनगर में आयोजित हिंदी दिवस 2025 एवं पांचवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सफल और सार्थक रहा। यह आयोजन राजभाषा नीति के प्रति जागरूकता बढ़ाने, हिंदी के व्यापक प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा भारतीय भाषाओं के समन्वित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ।

(vi) मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों और बैंकों के सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिंदी दिवस समारोहों और क्षेत्रीय सम्मेलनों के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियों की पहचान करके सम्मानित किया जाता है।

(vii) राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के बारे में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देने की बात को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

(viii) केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में राजभाषा विभाग में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्य के प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इस समिति के सदस्य हैं।

(ix) **लीला-राजभाषा (LILA-Learn Indian Languages through Artificial Intelligence) मोबाइल ऐप** का लोकार्पण 14 सितंबर, 2017 को किया गया। यह पैकेज विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है। इसके द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी अंग्रेजी, हिंदी के अलावा 14 अन्य भारतीय भाषाओं क्रमशः असमिया, बोडो, बांगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल एवं तेलुगू के माध्यम से स्वयं हिंदी भाषा सीख सकते हैं।

(x) 14 सितंबर, 2018 को **“लीला हिंदी प्रवाह”** का लोकार्पण किया गया। हिंदी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ जनसाधारण को भी हिंदी का उच्चतर ज्ञान कराने के लिए “लीला हिंदी प्रवाह” नाम से यह नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें भी अंग्रेजी के अलावा 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से स्वयं हिंदी सीखी जा सकती है।

(xi) **Bharati – Anuwad Sarathi** is a multilingual translation tool developed by the Department of Official Language through C-DAC Pune, which facilitates mutual translation across major Indian languages. The objective of 'Bharati' is to simplify and enhance the translation process through user-friendly software. It focuses on making translations faster and more accurate. 'Bharati – Multilingual Translation Sarathi' features a vetting facility, which ensures that only human-verified sentences are added to the Global Translation Memory. This process significantly enhances translation accuracy while maintaining high-quality and reliable translation data. Its key objectives include:

- Establishment of an indigenous data center.
- Development of advanced software for effective translation.
- Storing and reusing translations through the application of smart technology.
- Continuous improvement of the system based on user feedback.

(xii) "**E-Saral Hindi Sentences**" was released on 14th September, 2019 in which about **Fourteen thousand** sentences have been uploaded by various Ministries / Departments so far.

(iii) '**Hindi Shabd Sindhu**' is being developed to enrich Hindi with the words from other languages of the country. In this dictionary, along with the vocabulary related to various subjects i.e. - Mass Communication, Ayurveda, Sports, Space Science, Physics, Chemistry, Biology, Aeronautics, Computer Science, Electronics, Geology, Humanities, etc., traditional vocabulary is also being included. In this dictionary along with the word, its grammatical category, meaning, synonym, usage, antonyms, idioms and other necessary information has been provided. This dictionary is completely digital and in searchable format. This will be a dictionary which will be fully up-to-date and inclusive, having collection of all words used in Hindi with their meanings. In the dictionary, words from Hindi language and Hindi speaking region's dialects and languages, common words of other Indian languages, media and new media terms, words of technology and science, law and justice are also being included.

This is fully Digital - Web based. The dictionary has been developed as per the standardized spelling prescribed by the Central Hindi Directorate. Unicode font is being used in this dictionary which will have facility to search words by typing in Hindi and English. In addition, various modern features are being developed in this, including the facility to search a word by speaking.

Bhartiya Bhasha Anubhag

Establishment of Bhartiya Bhasha Anubhag (Indian Languages Section) is an ambitious project of this Department which has been launched by Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah during the 4th All India Official Language Conference and Hindi Diwas Celebrations, 2024 on 14-15 September 2024 at Bharat Mandapam, New Delhi. The purpose of setting up this section is to develop a mechanism through which correspondence between the Central Government and the State Governments can also be done in the First Official Language of the State. A universal system of translation in 15 Indian languages of the Eighth Schedule of the Constitution, has been developed.

(i) **‘भारती-बहुभाषी अनुवाद सारथी’**- राजभाषा विभाग द्वारा सी-डैक पुणे के माध्यम से विकसित कराया गया बहुभाषी अनुवाद टूल है जो प्रमुख भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद करता है। ‘भारती’ का उद्देश्य उपयोगकर्ता- अनुकूल सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुवाद को सरल और बेहतर बनाना है। यह अनुवाद को तेज़ और सटीक बनाने पर केंद्रित है। ‘भारती- बहुभाषी अनुवाद सारथी’ में पुनरीक्षण सुविधा उपलब्ध है, जो सुनिश्चित करती है कि केवल मानव द्वारा सत्यापित वाक्य ही ग्लोबल ट्रांसलेशन मेमोरी में जोड़े जाएं। यह प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय अनुवाद डेटा बनाये रखते हुए अनुवाद की सटीकता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है। इसके मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं:

- स्वदेशी डेटा सेंटर की स्थापना।
- प्रभावी अनुवाद के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर विकसित करना।
- स्मार्ट तकनीक का उपयोग कर अनुवाद को याद रखना और पुनः उपयोग करना।
- फीडबैक के आधार पर सिस्टम में निरंतर सुधार करना।

(xii) राजभाषा विभाग द्वारा “ई-सरल हिंदी वाक्यकोश” का लोकार्पण 14 सितंबर, 2019 को किया गया जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अब तक लगभग चौदह हजार वाक्य अपलोड किए गए हैं।

(ii) **हिंदी शब्द सिंधु** - बृहत् शब्दकोश देश की अन्य भाषाओं से हिंदी को समृद्ध करने की दिशा में विकसित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विषयों- जनसंचार, आयुर्वेद, खेलकूद, अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव-विज्ञान, वैमानिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इलैक्ट्रॉनिक्स, भू-गर्भशास्त्र, मानविकी आदि से संबंधित शब्दावली के साथ-साथ पारंपरिक शब्दावली को भी समाहित किया जा रहा है। इस शब्दकोश में शब्द की प्रविष्टि के साथ-साथ उसकी व्याकरणिक कोटि, अर्थ, पर्याय, आवश्यकतानुसार प्रयोग, विलोम, मुहावरे एवं तत्संबंधी अन्य आवश्यक जानकारी दी गई है। यह शब्दकोश पूर्णतया डिजिटल तथा खोजपरक (सर्चबल) है। यह एक ऐसा शब्दकोश होगा जो पूर्णतः अद्यतन और समावेशी होगा तथा इसमें हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों का अर्थ सहित संग्रह होगा। इस शब्दकोश में हिंदी और हिंदी क्षेत्र की बोलियों, उपभाषाओं और भाषाओं के शब्द, अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द, मीडिया और न्यू मीडिया के शब्द, तकनीक और विज्ञान के शब्द तथा विधि एवं न्याय के शब्द भी शामिल किए जा रहे हैं। यह पूर्णतया डिजिटल वेब आधारित है तथा इसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकीकृत वर्तनी के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग किया जा रहा है तथा इसमें हिंदी, अंग्रेजी में टंकण कर शब्द खोजने की सुविधा है। इसके साथ-साथ इसमें बोलकर शब्द खोजने की क्षमता सहित कई आधुनिक फीचर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(iii) **भारतीय भाषा अनुभाग** - भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना इस विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका शुभारंभ 14-15 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह, 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। इस अनुभाग की स्थापना किए जाने का प्रयोजन एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पत्राचार राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा (First Official Language) में भी हो सके। इसमें संविधान की आठवीं अनुसूची की 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सार्वभौमिक व्यवस्था विकसित की गई है।

